

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 जनवरी, 1990

खण्ड 1 अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 15 जनवरी, 1990

पृष्ठ संख्या

राज्यपाल का अभिभाषण—	
(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1)1
मुख्यमंत्री को बधाई	(1)19
भाोक प्रस्ताव	(1)1

घोशण-	
(क) अध्यक्ष द्वारा-	
(i) सदस्यों का त्याग-पत्र	(1)32
(ii) पैनल ऑफ चेयरमैन	(1)32
(ख) सचिव द्वारा-	
(i) राज्य द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी	(1)32
(ii) कांस्टिट्यूट इन (62 वां अमेंडमेंट) बिल, 1989 की रैटिफिके इन सम्बन्धी	(1)33
बिजवैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पे ट करना	(1)33
राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हुए विघ्न पर अफसोस प्रकट करना	(1)35
सदन की मेज पर पुःन रखे गए/रखे गए कागज पत्र	(1)37
वि ेशाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना-	

(i) श्री हजारी लाल, पुलिस उपाधीक्षक, जीन्द के विरुद्ध	(1)38
(ii) श्री इन्द्र सिंह नैन तथा श्री भले राम भूतपूर्व एम0 एल0 एज0 के विरुद्ध	(1)39
(iii) साप्ताहिक पीग के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रका 1क श्री डी0 आर0 चौधरी के विरुद्ध	(1)41
(iv) चंडीगढ़ पुलिस के सर्वश्री परमजीत सिंह, हैड कांस्टेबल ट्रैफिक तथा सुरजीत सिंह, कास्टेबल के विरुद्ध	(1)42
(v) श्री रघु यादक एम0 एल0 ए0 के विरुद्ध (अब भूतपूर्व एम0 एल0 ए0)	(1)43

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 15 जनवरी 1990

विधान सभा की बैठक हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1 चण्डीगढ़ में 15.42 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूलज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनैस के रूल 18 के अनुसार मैंने आपको यह सूचना देनी है कि कांस्टीच्यू इन के आर्टिकल 176(1) के अनुसार राज्यपाल महोदय ने आज 15 जनवरी, 1990 को 2.00 बजे बाद दोपहर हरियाणा विधान सभा के सामने ऐड्रेस देने की कृपा की है।

ऐड्रेस की एक कापी टेबल ऑफ दि हाउस पर रखी जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण,

नए वर्ष में हरियाणा विधान सभा के प्रथम अधिवे इन में आप का स्वागत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक सुभकामनाएं देता हूँ।

2. वर्ष 1989 समूचे दे 1, वि ोशकर हरियाणा के लिए बहुत घटनापूर्ण रहा है। हाल ही के लोक सभा चुनावों के फलस्वरूप केन्द्र में सरकार का परिवर्तन हुआ। लोकतांत्रिक ढंग से केन्द्र में नई सरकार के अस्तित्व में आने से दे 1 के राजनैतिक पटल पर भानदार बदलाव आया। हम नए प्रधान मन्त्री श्री वि वनाथ प्रताप सिंह, जो स्वच्छ सार्वजनिक जीवन तथा प्रजातान्त्रिक मूल्यों के अनुसार सतत अर्थिक एवं सामाजिक विकास के पक्षधर है, का अभिनन्दन करते हैं। चौधरी देवी लाल, जिनको दो वर्ष से भी अधिक अवधि के कु ाल नेतृत्व में हमारा हरियाणा कितने ही क्षेत्रों में पूरे दे 1 के लिए मार्गदर्शक बना, अब उप प्रधान मंत्री हैं तथा उन्होंने कृषि, सहकारिता एवं ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाल लिया है। वे लोकतान्त्रिक मूल्यों के प्रबल उपासक तथा दे 1 के किसानों और गरीबों के मित्र एवं मार्गदर्शक हैं। हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं तथा उनकी नई भूमिका में सफलता की कामना करते हैं। मैं नए मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला को भी हरियाणा की जनता की सेवार्थ सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हाल ही के चुनावों में परिवर्तन के पक्ष में मत व्यक्त करने के पश्चात् भारत की जनता अभिशासन की नई पद्धतियां तथा दे 1 के सामने व्याप्त विभिन्न समस्याओं के प्रति नए दृष्टिकोण अपनाए जाने की अपेक्षा करती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार राज्य के तीव्र विकास हेतु कामकाज में पहले से अधिक स्वतन्त्रता तथा प्रचुर मात्रा में वित्तीय समर्थन प्रदान करेंगी। राज्य के लोगों से

प्राप्त जनादेश की पालना हेतु चौधरी देवी लाल मन्तिमण्डल द्वारा अपनाई तथा कार्यन्वित की गई नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति मेरी सरकार स्वयं को पुनः समर्पित करती है।

जब कि हम बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में प्रवेश करने जा रहे हैं, हमें यह जानकर सन्तोश होता है कि मेरी सरकार के गतिशील एवं सुदृढ उपायों के फलस्वरूप गतवर्ष के दौरान राज्य का उल्लेखनीय सर्वगीण विकास हुआ है। मुझे यह व्यक्त करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि इस राज्य के लोगों ने चहुंमुखी प्रगति की दिशा में अग्रसर होने के लिए आशा, विश्वास एवं उद्येय की एकात्मकता प्रदर्शित की है। इसी निश्ठा एवं प्रयास के फलस्वरूप मेरी सरकार ने विभिन्न दिशाओं में उल्लेखनीय उन्नति की है जिसमें से कुछ का वर्णन मैं अब करने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में मेरी सरकार के सद्भावी तथा सतत प्रयास और अधिक विकास को बढ़ाया देंगे तथा इस प्रगतिशील राज्य को और नई ऊँचाईयों तक ले जाएंगे।

3. मैं राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सरकार की उन भानदार उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहता हूँ जिन के कारण नागरिकों को यह विश्वास हो गया है कि प्रशासन भान्ति बनाए रखने के अपने प्राथमिक कर्तव्य में किसी प्रकार की कोई कमजोरी अथवा ढील नहीं दिखाएगा। जनता के सहयोग तथा पुलिस की सतर्क निगरानी के फलस्वरूप भौक्षणिक,

व्यावसायिक, औद्योगिक, सामाजिक तथा राजनैतिक गतिविधियां किसी व्यवधान के बिना चलती रही। तथापि, मुझे यह बताते हुए दुःख हो रहा है कि हमारी कड़ी निगरानी के बावजूद कुछ अनमोल जान अग्रवादियों द्वारा नष्ट कर दी गई। करनाल के समीप हरियाणा राज्य परिवहन की बस में एक भाक्ति वाली बम-विस्फोट द्वारा अग्रवादियों ने तेरह निर्दोश व्यक्तियों की हत्या कर दी। उन्होंने पंचकुला-कालका सड़क पर सूरजपुर सीमेंट कारखाने के नजदीक पुलिस उप अधीक्षक राव रणबीर सिंह तथा उनके चालक सिपाई राम सिंह को भी मौत के घाट उतार दिया। मेरी सरकार उन सभी भाकसंतप्त परिवारों के साथ गहरी सहानुभूति रखती है जिनके अभागे सदस्य हिंसा के िकार हो गए। मेरी सरकार कानून का भासन बनाए रखने के नि चय रखती है तथा पुलिस को निर्दे ा दिए गए है कि वह किसी प्रकार के डर या पक्षपात के बिना ऐसी सभी परिस्थितियों से दृढ़ता से निपटे। मेरी सरकार नवे आतंकवादी गतिविधियों पर अंकु ा लगाने के लिए स ाक्त उपाय किए है। इन उपायों में गुप्तचर-तन्त का पुनरुद्धार, पुलिस बल को स ाक्त बनाना, परिवहन तथा संचार सुविधाओं में सुधार तथा उत्तम प्रकार के उपकरणों व अस्त- ास्त्रों का जुटाना भांमिल है।

मेरी सरकार ने पुलिस बल की सेवा की परिस्थितियों में सुधार करने का दृढ नि चय किया है। पुलिस कर्मियों के लिए भवन-निर्माण सम्बन्धि कार्य की देखरेख हेतु एक पुलिस पर्याप्त धनराि ा जुटाने के लिए प्रयास किए जा रहे है।

पंजाब के हालात मेरी सरकार के लिए गम्भीर चिन्ता एवं परेशानी का कारण बने हुए हैं। तथापि, केन्द्र में जनतादल की सरकार के संस्थापना ने इस समस्या के भीष्म समाधान के लिए नई आशा जागृत की है। स्थायी समाधान खोजने के विचार से केन्द्र में नई सरकार ने संगठित प्रयास प्रारम्भ कर दिए हैं और पारस्परिक विचार-विमर्श द्वारा वर्ष इस समस्या को हल करने का प्रस्ताव किया है। यह आशा की जाती है कि आंतकवादी गतिविधियों, जिनका कुप्रभाव हमारे राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी पड़ा है, से अब कारगर ढंग से निपटा जा सकेगा। मेरी सरकार इस पहल का स्वागत करती है तथा इस क्षेत्र में स्थायी भान्ति स्थापित करने की दिशा में हर सम्भव सहयोग देगी ताकि सभी लम्बित विवादों को मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके।

4. मेरी सरकार का यह प्रयास रहा है कि जनसाधारण को न्याय मिले और लोगों की शिकायतों का तत्परता से निवारण किया जाए। इसी दिशा में कई प्रगति मिल पग उठा कर प्रशासकीय ढांचे का विकेन्द्रकरण किया गया है। प्रशासन को आम आदमी के यथासंभव निकट लाने के अभिप्राय से दो नए राजस्व मण्डल बनाए गए हैं जिनके मुख्यालय गुड़गांव तथा रोहतक में स्थित हैं। कैथल, पानीपत रिवाड़ी और यमूनानगर चार नए जिले बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पेहवा, गन्नौर ऐलनाबाद, असन्ध तथा कोसली नामक पांच उप-मण्डल सात तहसीलों, छः उप-तहसीलों और नए विकास खण्ड भी बनाए गए हैं।

मेरी सरकार प्रशासन को संवेदनशील तथा कारगर बनाने के लिए वचनबद्ध है। मुक्त द्वारा प्रशासन विचारों नाम से विख्यात पद्धति के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में नियमित रूप से विचारों का आयोजन किया जाता है। यह एक सराहनीय कदम है, विशेषकर ग्रामीण लोगों के लिए जिन्हें अब छोटे-छोटे कामों के लिए जिला व तहसील मुख्यालयों तक नहीं जाना पड़ता क्योंकि उनके अधिकतर काम मौके पर ही हो जाते हैं। जिला स्तर के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नित्यप्रति अपने कार्यालयों के बाहर जनता की सुनवाई करने के साथ-साथ प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 से 12 बजे तक सामूहिक रूप में उपायुक्त-कार्यालयों के बाहर भी जनसाधारण की समस्याओं को सुलझाने के लिए खुला दरबार आयोजित करें।

जैसा कि आप जानते ही हैं कि नगरपालिकाओं के चुनाव वर्ष 1987-88 में हुए थे। मेरी सरकार की मंशा है कि जैसे-जैसे इन संस्थाओं का विकास होगा इन्हें और अधिक भाक्तियां हस्तांतरित की जाएंगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के पद समाप्त कर दिए हैं तथा स्थानिय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भाक्तियां पुनः सौंप दी गई हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोगों को अब अपने ढंग से नगरपालिकाओं का प्रबन्ध करने का अवसर प्राप्त होगा। चालू वर्ष में नगरपालिकाओं को सहायता के लिये 4,25,50,000 रुपये का प्रावधान किया गया है।

5. राज्य सरकार की यह मूल कार्यनीति रही है कि विकास की गति में तीव्रता लाई जाए तथा समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिये अवसर उपलब्ध कराए जाएं। हमारी आर्थिक नीति को प्रमुख विशेषताएं हैं—किसानों के लिए पैकेज रूप में समुन्नत कृषि पद्धतियों एवं प्रोत्सहनों द्वारा उपज बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि का विकास बिजली एवं सिंचाई की क्षमता बढ़ाकर, योजक सड़के उपलब्ध ढांचे को सुदृढ़ करना, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, जन सामान्य तथा विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के जीवनस्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवाओं में सुधार, और मानव संसाधनों के और अधिक प्रभावशाली उपयोग करने की दृष्टि से भौक्षिक एवं व्यावसायिक कार्यक्रमों को नई दिशा की ओर उन्मुख करना।

6. वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था में अच्छा सुधार परिलक्षित हुआ है। सूलभ अनुमानों के अनुसार, 1980-81 को आधार वर्ष मान कर स्थिर मूल्यों में राज्य की आय वर्ष 1988-89 में 4845 करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि वर्ष 1987-88 में यह 3975 करोड़ रुपये थी, अर्थात् इसमें वर्ष के दौरान 21.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चालू मूल्यों के आधार पर वर्ष 1988-89 में राज्य की आय 8279 करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि वर्ष 1987-88 में यह 6577 करोड़ रुपये थी, अर्थात् इसमें वर्ष के दौरान 25.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सेक्टरवार वि लेशण से पता चलता है कि स्थिर मूल्यों (1980-81) के आधार पर प्राथमिक सेक्टर में भुद्ध स्थानीय उत्पादन वर्ष 1987-88 में 1655.48 करोड़ रूपये था जो बढ़ कर 1988-89 में 3208.52 करोड़ रूपये हो गया अर्थात् इसमें 39.4 प्रति ात की वृद्धि परिलक्षित हुई। द्वितीयक सेक्टर के लिए तदनुरूपी आंकड़े क्रम ा 959.45 करोड़ रूपये तथा 1018.90 करोड़ रूपये है, अर्थात् इसमें 6.2 प्रति ात की वृद्धि हुई है। तृतीयक सेक्टर ने वर्ष 1988-89 में 11.5 प्रति ात की वृद्धि दर्ाई है। राज्य की सकल आय में इसका योगदान वर्ष 1987-88 में 1360.38 करोड़ रूपये से बढ़ कर वर्ष 1988-89 में 1517.10 करोड़ रूपये हो गया।

1980-81 को आधार वर्ष मानकर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1988-89 में 3086 रूपये अनुमानित की गई है जबकि वर्ष 1987-88 में यह 2586 रूपये थी। चालू मूल्यों के आधार पर प्रति/व्यक्ति आय वर्ष 1988-89 में 5274 रूपये बनती है जबकि वर्ष 1987-88 में यह 4278 रूपये थी।

7. सातवी पंचवर्षीय योजना (1985-90) में समग्र विकास, गरीब उन्मूलन तथा सामजिक सेवाओं में विस्तार एवं सुधार पर बल दिया गया। सातवी योजना के तीसरे वर्ष में राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पे ान तथा बेरोजगारी भत्ता जैसे सामाजिक सुरक्षा के वि ेश उपायों का सूत्रपात किया। राज्य में निर्धन परिवारों का आवसीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उदे य से नए

वर्ष में गन्दी बस्तियों के सुधार तथा मकान बनाने की विभिन्न योजनाएं आरम्भ की जाएंगी। हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाले मकानों में से 70 प्रतिशत मकान निम्न आय वर्गों तथा समाज के अर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को आबंटित किए जाएंगे। ग्रामीण जनता के अभावग्रस्त वर्ग की सहायता हेतु उसके कर्ज माफ करके हरियाणा प्रान्त ने एक विशिष्ट कदम उठाया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2900 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जबकि संभावित व्यय लगभग 2577 करोड़ रुपये है। यह कमी मुख्यतया राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में केंद्र के वेतनमानों के अनुरूप परिपोषण तथा पड़ोसी राज्य पंजाब में उत्पन्न आंतकवाद के कुप्रभाव से निपटने के उद्देश्य से पुलिस बल को सशक्त एवं आधुनिक बनाने हेतु किए गए विशेष उपायों के फलस्वरूप योजनेतर व्यय में वृद्धि के कारण। तथापि, व्यय में इस कमी के बावजूद कृषि, ग्रामीण विकास, ऊर्जा-उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल-आपूर्ति इत्यादि के क्षेत्र में प्रमुख भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।

राज्य सरकार सामाजिक सेवाओं तथा सामाजिक सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है और इसलिये सामाजिक एवं सामूहिक सेक्टर के अन्तर्गत कुल परिव्यय का 36.1 प्रतिशत परिव्यय प्रस्तविक है। बिजली की नाजूक स्थिति के दृष्टिगत कुल परिव्यय का 29.4 प्रतिशत इस सेक्टर के विकास हेतु प्रस्तावित किया गया है। सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण के लिये कुल परिव्यय

सभी सेक्टर के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्तावित है वह कुल परिव्यय का लगभग 75 प्रतिशत है।

8. कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा है तथा मेरी सरकार कृषि-उत्पादन की प्रोन्नति को सर्वोच्च प्राथमिकता क्षति के बावजूद वर्ष 1988-89 में खाद्यान्नों के उत्पादन में 94.83 लाख टन का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ जबकि लक्ष्य 84.50 लाख टन था वर्ष 1987-88 के दौरान वास्तविक उत्पादन केवल 63.12 लाख टन था। इसी तरह राज्य ने 4.81 लाख टन तिलहन का उत्पादन करके 3.60 लाख टन के निर्धारित लक्ष्य को आसानी से पार कर लिया। वर्ष 1988-89 के दौरान गन्ने तथा कपास का उत्पादन क्रमशः 6.58 लाख टन (गुड़) तथा 8.45 लाख गांठें रहा। खरीफ 1989 के दौरान जुलाई तथा अगस्त के महीनों में राज्य को एक लम्बे अरसे तक सुखे का मुकाबला करना पड़ा। इससे वर्षा पर निर्भर फसलों विशेषकर बाजरे की फसल को भारी क्षति पहुँची और इसका उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से 38 प्रतिशत कम रहा। खरीफ की अन्य खाद्यान्न फसलों में सामान्य उत्पादन के बावजूद बाजरा के उत्पादन में भारी गिरावट के फलस्वरूप खरीफ खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन 27.70 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले केवल 22.26 लाख टन रहा जबकि खरीफ 1988 के दौरान वास्तविक उत्पादन 25.32 लाख टन था। चालू रबी फसल के लिए खाद्यान्नों एवं तिलहनों का उत्पादन लक्ष्य क्रमशः 71.40 लाख टन तथा 4.50 लाख टन निर्धारित किया

गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये मेरी सरकार ने किसानों की सहायतार्थ विभिन्न उपाय किए हैं। पांच चुने हुए जिलों अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार तथा सिरसा में केन्द्र सरकार के विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत गेहूँ के प्रमाणीकृत बीज, जिकसल्फेट तथा खरपतवार नाशक रसायनों पर अनुदान देने हेतु 277.68 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। तथापि, राज्य सरकार ने गेहूँ के बीज तथा खरपतवार नाशक रसायनों पर अनुदान की सुविधा सचूमें राज्य में प्रदान की है। वर्ष 1989 में प्रमाणीकृत बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा खरपतवार नाशक दवाईयों की सुलभता एवं खपत में निरन्तर वृद्धि हुई है। अनुकूल मौसम की स्थिति में रबी फसल का खाद्यान्न-उत्पादन सम्बन्धी 71.40 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। वर्ष 1990-91 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 100 लाख अन्न निर्धारित किया गया है।

9. नकदी फसलो को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से मेरी सरकार ने गन्ने का मूल्य 40 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था जोकि देश में सर्वाधिक था। राज्य में तिलहन एवं दलहनों के उत्पाद को बढ़ाया देने के इरादे से, राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना राष्ट्रीय तिलहन थ्रस्ट प्रोग्राम तथा राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, बड़े उत्साह से क्रियान्वित की जा रही है। सूरजमुखी की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में बागवानी तथा सब्जियों की खेती में महत्व को

पहचानते हुए सरकार ने बागवानी का अलग निदेशालय स्थापित किया है जो निकट भविष्य में कार्य करना प्रारम्भ कर देगा। देहली के इर्द-गिर्द तथा राज्य में कुछेक केन्द्र बिन्दुओं पर फलों, सब्जियों एवं पशुधन पर आधारित पदार्थों के उत्पादन को और अधिक विकसित करने की नीयत से हार्टिकल्चर एण्ड एनीमल प्रोडक्ट्स ऑथॉरिटी नामक प्राधिकरण का संस्थापना किया गया है।

हरियाणा कृषि उद्योग निगम ने भी उल्लेखनीय प्रगति की है। निगम ने पहली बार धान और गेहूं के खरपतवार नाशक रसायनों का उत्पादन शुरू किया है। चालू वर्ष में इसका कुल टर्नओवर 90 करोड़ रुपये तक होने की संभावना है जबकि गत वर्ष यह केवल 13.63 करोड़ रुपये था।

भू-संरक्षण तथा भूमि विकास कार्यक्रमों को भी समुचित महत्व दिया गया है। अम्बाला तथा यमुनानगर जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों के समन्वित विकास के लिए वि.व. बैंक के सहयोग से इन्टीग्रेटेड वाटर शैड प्रोग्राम (हिल्ज) नामक नई परियोजना तैयार की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत सात साल की अवधि 50,579 हैक्टेयर भूमि के उपचार का प्रस्ताव है।

10. राज्य में औद्योगिक विकास भी काफी असरदार रहा है। लघु उद्योग इकाइयों की संख्या पहले ही 89,330 तक पहुंच चुकी है। अकेले वर्ष 1989 के दौरान ही 3,230 इकाइयां स्थापित

की गई है। बड़े तथा माध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की संख्या भी 402 तक पहुंच गई है। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से संयुक्त एवं सहायता प्राप्त क्षेत्रों में 38 अन्य बड़े तथा मध्यम पैमाने के प्रोजेक्ट कार्यान्वित किए जा रहे हैं। निगम ने चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महिनों के दौरान 384 लाख रुपये के ऋण सस्वीकृत किए हैं। हरियाणा वित्तीय निगम ने भी इस अवधि में 4061.67 लाख रुपये के ऋण संस्वीकृति किए हैं।

दुर्भाग्यवश करनाल तेल-पोषक कारखाने जैसा महत्पूर्ण प्रोजेक्ट मार्च 1987 में िलान्यास के पचात् से ही ज्यों का त्यों रूका पड़ा है। मेरी सरकार ने भारत सरकार के साथ यह मामला फिर उठाया है तथा हमें पूरी आशा है कि हम इस महत्पूर्ण प्रोजेक्ट के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। गुड़गांव जिले के मानेसर गांव में 85 करोड़ रुपये के विनियोग से लगाने वाले वायरल वैक्सीन बनाने के एक अन्य प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है तथा इस प्रोजेक्ट पर निकट भाविश्य में कार्य प्रारम्भ होने की उम्मीद है। फरीदाबाद जिले के असावटी गांव में 18 करोड़ रुपये की लागत वाले आई० ओ० सी० ल्यूब बलैंडिंग प्लान्ट मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में 5.40 करोड़ रुपये की लागत वाले लघु सीमेन्ट कारखाने, तथा गुड़गांव जिला के मानेसर गांव में 9 करोड़ रुपये की लागत वाली

आई० बी० पी० एल० की विस्फोटक पदार्थों बनाने वाली इकाई, की स्थापना हेतु कारवाई प्रारम्भ की जा चुकी है।

11. उद्योग विभाग की कार्यप्रणाली का सुप्रवाही बनाने के उद्देश्य से वर्तमान उद्योग निदेशालय को, बड़े तथा मध्यम उद्योग निदेशालय, लघु, कुटीर एवं ग्रामोद्योग निदेशालय तथा खान एवं भूगर्भविज्ञान निदेशालय नामक तीन गण निदेशालयों में बाटकर पुनर्गठित किया गया है। उद्यमियों के लिए सम्पर्क केन्द्रों की संख्यां कम से कम करने के इरादे से सभी जिलों में एकल द्वारा सेवा पद्धति अपनाई गई है जिसमें वरिष्ठ अधिकारीगण तालमेल का कार्य करते हैं। उन्हें, अनुदान राशि प्रदान करने औद्योगिक प्लांटों का आबटन एवं हस्तांतरण करने, ऋण संस्वीकृत करने तथा सभी औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण जैसे अधिकांश मामलों का अपने ही स्तर पर निपटान करने के लिए सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त भावित्तियां दे दी गई है। एक अप्रैल, 1988 के पश्चात् उत्पादन में आने वाली औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए हैं। जैसे—बिक्री कर में अधिकतम 9 वर्ष तक की अवधि के लिए छूट अथवा सीगिन पांच वर्ष के लिए विद्युत भुल्क में छूट तथा जनरेटिंग सैट्स पर चढ़ी हुई दरों से 15 लाख रूपये तक की अनुदान राशि। क्योंकि भारत सरकार ने केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में पंजीनिये पर अनुदान देना बन्द कर दिया है, मेरी सरकार ने केन्द्र द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित सभी पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों में पंजीगत निवेश पर

25 प्रति तात अनुदान देने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने राज्य में इलैक्ट्रोनिकी उद्योग को प्रोन्नत करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। राज्य में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों के लिए पूंजीगत निवेश का अनुदान स्थिर पूंजी निवेश का पर 25 प्रति तात की दर से 30 लाख रुपये की सीमा तक तथा अन्य क्षेत्रों में यह अनुदान 15 प्रति तात की दर से 15 लाख रुपये की सीमा तक उपलब्ध है। बड़े तथा मध्यम पैमाने की 11 इलैक्ट्रोनिकी परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। जिनका कुल निवेश का 50 करोड़ रुपये तथा कुल अनुमानित टर्नओवर 180 करोड़ रुपये है। गुड़गांव में एक इलैक्ट्रोनिकी कम्प्लैक्स स्थापित करने की दिशा में प्रयास जारी है जहां पर इलैक्ट्रोनिकी उद्योग के त्वरित विकास को सुविधाजनक बनाया जाएगा। अपेक्षकृत लघु इलैक्ट्रानिक इकाइयों को सहायता देने के आदेश से पूरी मेरी सरकार ने हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिक विकास निगम द्वारा इक्विटी भागीदारी के लिए न्यूनतम सीमा को 3 करोड़ रुपये से घटाकर एक करोड़ रुपये कर दिया है।

औद्योगिक रूग्णावस्था की समस्या से निपटने के उद्देश्य से बीमार इकाइयों के पुनर्जीवन एवं पुनर्स्थापन के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया गया है। ऐसे उद्योग को राहत देने के विभिन्न उपाय किये गए हैं, जैसे बिक्री कर में छूट/स्थगन, विद्युत भुल्क में छूट, अधिक मात्रा में विद्युत आपूर्ति तथा कई प्रकार के बकाया की वसूली को पुर्नानयत करना। राज्य में उपलब्ध खाद्य-प्रक्रमण

की क्षमता के समुपयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के प्रयास जारी है। इस प्रयोजन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया है।

12. मेरी सरकार ने उद्योगों के सतत विकास के लिए श्रमिक वर्ग सर्वतोमुखी कल्याण की अनिवार्यता को समझा है। कुल मिलाकर औद्योगिक भ्रान्ति कायम रखी गई है तथा प्रबन्धकों एवं श्रमिकों के पारस्परिक सम्बन्ध भी मधुर रहे हैं। सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरों में उतरोतर परिपोषण किया गया है। जिसके फलस्वरूप 1 जून, 1989 से अकुल औद्योगिक कामगारों की न्यूनतम मजदूरी 800 रूपये मासिक तथा कृषि कामगारों की न्यूनतम मजदूरी भोजन के बिना 31.80 रूपये तथा भोजन सहित 27.80 रूपये प्रतिदिन हो गई है। मजदूरी की न्यूनतम दरों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से भी जोड़ा गया है और निश्प्रभावन दर 1.70 रूपये प्रति अंक है।

13. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अनेक नई योजनाएं भुरु की गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हरियाणा राज्य दूरस्थ बोध प्रयोज्यता केन्द्र तथा हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिशद् नामक दो स्वायत्त निकायों की स्थापना की है। दूरस्थ बोध प्रयोज्यता केन्द्र हरियाणा कृषि विविद्यालय हिसार के परिसर में स्थित है। इस केन्द्र द्वारा राज्य के पांच जिलों में बंजर भूमि की पहचान करने के लिए एक परियोजना आरम्भ की गई है। इस

केन्द्र के चार जिलों करनाल, जीन्द, हिसार ताा सिरसा उपलब्ध विभिन्न प्रकार की बजरं भूमियों के मानचित्रण, लवणग्रस्त तथा जलग्रस्त भूमियों के मानीकरण एवं पर्यवेक्षण तथा वर्ष 1990-91 में उपज क्षेत्र अनुमानन का कार्य भी करेगा।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्ीापित विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परिशद् ने आठवीं पंचवर्शीय योजना के दौरान केन्द्र बिन्दु के रूप में प्रणोद क्षेत्रो का अभिनिधीकरण कर लिया है।

14. वर्ष के दौरान मेरी सरकार ऊर्जा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है। विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप विद्युत आपूर्ति की स्थिति मे और अधिक सुधार परिलक्षित हुआ है। वर्ष के दौरान 215 लाख यूनिट प्रतिदिन की औसत आपूर्ति रही जो कि वर्ष 1988-89 के दौरान 180 लाख यूनिट की औसत आपूर्ति की तुलना में 19.4 प्रति ात अधिक है। उपलब्ध ऊर्जा का अधिकां ा अर्थात् 57 प्रति ात कृशि क्षेत्र को दिया गया। मेरी सरकार राज्य में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने की आव यकता के प्रति सजग है। पानीपत ताप बिजली संयन्त में 210 मैगावाट क्षमता का एक नया यूनिट भुरू हो गया है। इसी स्थान पर 210 मैगावाट क्षमता का एक और यूनिट स्ीापित करने बारे केन्द्र सरकारी अनुमति प्राप्त हो गई है। यह प्रयास किए जा रहे है कि राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम 840 मैगावाट क्षमता वाले यमुनानगर ताप बिजली संयन्त्र का निशपादनकार्य अविलम्ब प्रारम्भ करें।

पारेक्षण और वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। पलवल तथा पंचकूला में 220 के०वी० क्षमता वाले दो, नारनौद में 132 के० वी० क्षमता वाला एक, तथा 33 के० वी० क्षमता वाले 9 उपकेन्द्र चालू किए गए हैं। 220 के० वी० क्षमता का एक उपकेन्द्र भिवानी में 132 के०वी० क्षमता का एक-एक उपकेन्द्र कनीनाखास और हिसार छावनी में तथा 66 के० वी० क्षमता का एक उपकेन्द्र अधोया में निर्माण के अन्तिम चरण में है। इसके अतिरिक्त कई वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता में भी वृद्धि की गई है।

15. मेरी सरकार कृषि उत्पादन हेतु सिंचाई के महत्त्व को पूरी तरह अनुभव करती है। अनुसार, आने वाले वर्षों में कृषि उत्पादन में प्रभाव गाली वृद्धि की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार सिंचाई सुविधाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता देती रहेगी। सिंचाई सुविधाओं का और अधिक विस्तार अब सतलुज यमुना योजक नहर के पूर्ण होने पर निर्भर करता है। इसलिए राज्य सरकार इसे भीघ्न पूर्ण करने के लिए केद्रीय सरकार पर दबाव डाल रही है। इसकी प्रगति की समीक्षा के लिए हाल ही में जल संसाधन मन्त्रालय में अनेक उच्च-स्तरीय बैठकें हुई हैं। नहर के निर्माण का कार्य भीघ्नता से पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

राज्य में जल संसाधनों के अभाव को देखते हुए, वहन क्षतियों को कम करने तथा उनके इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वि व बैक

सहायता-प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान जल मार्गों का 35.1 लाख वर्ग फुट क्षेत्र पक्का किया गया है जिससे कुल पक्का क्षेत्र बढ़कर 4810 लाख वर्ग फुट हो गया है। इसके अतिरिक्त खाली की 429 किलोमीटर लम्बाई को भी पक्का किया गया है जिससे कुल पक्के खालों की लम्बाई 18,500 किलोमीटर हो गई है। इस प्रकार बचाए गए पानी से और अधिक क्षेत्र को सिंचित किया जा सकेगा।

मेरी सरकार विशेषतौर पर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि नहरों के अन्तिम छोर पर स्थित खेतों को भी पानी मिल सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न आवश्यक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। नहरों तथा खालों की सफाई का काम युद्ध-स्तर पर भुरू किया गया है। आता की जाती है कि इस काम को जनवरी, 1990 के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा।

16. मेरी सरकार, ग्रामीण निर्धनो, लघु तथा सीमान्त किसानों, खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण शिल्पकारों एवं दस्तकारों तथा समाज के कमजोर वर्गों की अर्थिक स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। उन्हें अपनी आय बढ़ाने योग्य बनाने के लिए समूचे राज्य में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम निरन्तर कार्यान्वित किया जाता रहा है। ग्रामीण निर्धनों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र तथा राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 1142.26 लाख रुपये का प्रावधान किया है। इस वर्ष समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत

विविधीकरण करते हुए खुम्भी की खेती, मधुमक्खीपालन, रे आम उत्पादन इत्यादि नूतन व्यवसायों के लिए भी ऋण दिया गया है। अम्बाला जिले के पिछड़े क्षेत्र मोरनी में एक अंगोरा खरगोश पालने की स्कीम भी भुरू की गई है।

यूनिसैफ सहायता-प्राप्त कार्यक्रम के माध्यम से अम्बाला में स्वच्छता कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की आवश्यकता पर विशेष बल दिया जाता है। अगले वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम को चार अन्य जिलों अर्थात् करनाल, रोहतक, भिवानी तथा हिसार में भी चलाया जाएगा।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही ग्रामीण जनता की कठिनाइयों को महसूस करते हुये मेरी सरकार ने विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत ऋण तथा अनुदान प्राप्त करते समय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पक्ष में लाभानुभोगियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले करारनामे पर स्टैम्प भुल्क से छूट देने का निर्णय लिया है।

अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्गों, महिलाओं, वृद्धों अाकल व्यक्तियों तथा समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की अर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में सुधार लाना मेरी सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विभिन्न सामान्य विकास योजनाओं के अलावा कुछ ऐसी विशेष योजनाए भी है जो केवल अनुसूचित

जातियों, पिछड़े वर्गों और विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए ही है।

17. 65 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन देने की मेरी सरकार की घोषित नीति है। वर्ष 1988-89 के दौरान इस स्कीम से 7,57,670 व्यक्तियों ने लाभ उठाया तथा यह सम्भावना है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 8,36,000 व्यक्ति इससे लाभान्वित होंगे। इस स्कीम पर वर्ष 1988-89 में 7,954.30 लाख रुपये खर्च किए गए जबकि चालू वित्त वर्ष में यह खर्च 10,540 लाख रुपये तक होने की सम्भावना है। विकलांगों, निराश्रित महिलाओं तथा विधवाओं के पेंशन सम्बन्धी नियमों को उदार बनाते हुए पात्रता के लिए आय सीमा को 50 रुपये मासिक से बढ़कर 200 रुपये मासिक कर दिया गया है। मासिक पेंशन की दरें भी 50 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई हैं। विकलांगों के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा की भाँति को समाप्त कर दिया गया है और अब विकलांग व्यक्ति 65 वर्ष की आयु तक इस पेंशन के पात्र होंगे। मुझे यह बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि मेरी सरकार ने हाल ही में सभी सरकारी नौकरियों में प्रारम्भिक भर्ती के समय विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत पद आरक्षित करने का निर्णय लिया है।

बाल कल्याण के प्रति मेरी सरकार की विशेष अभिरूचि है तथा यह बच्चों के हितों को देखभाल के लिए हर

सम्भव प्रयत्न करेगी। समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवाओं का ऐसा पैकेज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जिसमें पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं, स्वास्थ्य शिक्षा तथा पूर्व स्कूल शिक्षा सम्मिलित है। राज्य में इस समय 91 परियोजनाएं चल रही हैं जिसमें 6,50,000 शिक्षार्थी लाभ उठा रहे हैं तथा यह संख्या वर्ष 1990-91 में बढ़ कर 7,91,952 हो जाने की सम्भावना है।

18. बेरोजगार युवाओं का कल्याण मेरी सरकार की नीति का महत्वपूर्ण पहलू होगा। हमारी प्रगतिशील योजनाओं में से एक योजना के अन्तर्गत उन बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है जो रोजगार कार्यालयों में पिछले दो वर्षों से पंजीकृत हैं। आरम्भ में यह योजना केवल स्नातकों तथा स्नातकोत्तर युवकों के लिए ही थी। किन्तु एक जुलाई, 1989 से दसवीं/उच्चतर माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक पास युवकों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाभाविन्वित किया जा रहा है। इस तहत दसवीं/उच्चतर माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक पास तथा स्नातक/स्नातकोत्तर युवाओं को क्रमशः 50 रुपये, 75 रुपये तथा 100 रुपये मासिक को दर से बेजोगारी भत्ता दिया जाता है जिसका भुगतान हर तिमाही किया जाता है। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले

स्नातको और स्नातकोतर युवकों द्वारा दिए जाने वाले भापथ-पत्रों पर स्टैम्प भुल्क में छूट दे दी है।

मेरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवकों तथा युवतियों की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा को 5 वर्ष और बढ़ाने का निर्णय लेकर हाल ही में एक और उल्लेखनीय कदम उठाया है। ऐसी इसलिए किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे औपचारिक शिक्षा अपेक्षाकृत बड़ी उम्र में प्रारम्भ करते हैं।

19. भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गई सेवाओं की कदर करते हुए स आस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के पूनर्वास के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। चालू वित्त वर्ष में 4.40 करोड़ रुपये की राशि राज्य के बजट में से खर्च की जा रही है और सैनिक परिवार भवनों के अनुसंधान के लिए सहायता-अनुदान के रूप में 32 लाख रुपये रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त 92.5 लाख रुपये की राशि समामेलित निधि में से तथा लगभग 22 लाख रुपये की राशि प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा राहत निधि से खर्च की जा रही है।

मेरी सरकार ने श्री लंका में भारतीय भ्रान्ति सेना मिशन में मारे गये। अन्य-रैको के परिवारों को अनुग्रह अनुदान के रूप में 1,60,000 रुपये की राशि प्रदान की। वर्ष 1989 में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के व्यवसाय सम्बन्धी मागे दान की हेतु

एक योजना भुरू की गई। सैनिक स्कूल कुंजपुरा दो मास की अवधि का प्रििक्षण देने का निर्णय भी लिया गया है। और छात्रों को निः शुल्क भोजन और आवास लेखन सामग्री तथा पुस्तकों की सुविधा प्रदान की जाएगी। सैनिक स्कूल कुंजपुरा के छात्रों के आहार भते में भी वृद्धि कर दी गई है।

20. स्वास्थ्य देखभाल को मानव-संसाधन विकास का अनिवार्य अंग मानते हुए मेरी सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुधार हेतु विशेषकर ग्रामीण तथा भाहरी निर्धनों के लिये, सतत प्रयास किए हैं। मार्च 1990 के अन्त तक राज्य में 2361 उप स्वास्थ्य केन्द्रों, 394 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 51 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सेवाएं उपलब्ध होंगी जिनमें से 161 उपकेन्द्र, 61 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केवल चालू वित्त वर्ष में खोले जाएंगे। मुझे यह बताते हुए सुखद अनुभूति हो रही है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम माता एवं पिता का स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, वि व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम राष्ट्रीय अन्धता नियन्त्रण कार्यक्रम इत्यादि राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कार्यान्वयन करने में हरियाणा, देश के अग्रणी राज्यों में से एक है।

चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल रोतहक का आपात् चिकित्सा विभाग, जो पहले केवल परामर्श सेवा ही प्रदान कर रहा था, को अब एक पूर्ण विकसित विभाग बना दिया गया है और

उसके अपने वार्ड में रेडियोलोजी तथा रोग विशयक अनुसन्धान सहित चिकित्सा की जाती है तथा आपातकालीन वार्ड में दाखिल गम्भीर रूप से बीमार/घायल सभी रोगियों को निः शुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। आगामी वित्त वर्ष में हृदय रोग सम्बन्धी विविध चिकित्सा एवं हृदय की भाल्य चिकित्सा प्रारम्भ करने का भी प्रस्ताव है। आने वाले साल में जापान की सहायता से कैटस्कैन की सुविधा जुटाने को भी सम्भावना है, ताकि रोगियों को विभिन्न प्रकार के जटिल अनुसन्धानों के लिए दिल्ली न भेजना पड़े।

21. मेरी सरकार हरियाणावासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। यह बड़े दुःख की बात है कि राज्य के गठन के 23 वर्षों बाद भी 1000 से भी अधिक गांवों के लोग इस अनिवार्य सुविधा से वंचित हैं। मेरी सरकार यह प्रयत्न करेगी कि इस कार्य में तेजी लाई जाए तथा 31 दिसम्बर, 1990 से पूर्व राज्य के सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक द्रुत कार्यक्रम चलाया जाए। अपने सभी गांवों को ऐसी सुविधा देने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य होगा। यह अनुमान है कि इस द्रुत कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रुपये के परिव्यय की आवश्यकता पड़ेगी। मेरी सरकार भाहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति तथा भूमिगत मल-निकास सुविधाओं की दृष्टि से सुधारने के लिए भी बराबर उत्सुक है। वर्ष 1990-91 में इस काम के लिए अनंतिम तौर पर लगभग 14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य के सभी भाहरी क्षेत्रों में

पेय जल सुविधाएं पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है जबकि मल निकासकी सुविधा कवल 37 कस्बों में ही प्राप्त है। वर्ष 1990-91 में एक अन्य कस्बे को मल निकास सुविधा के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।

22. आम आदमी को शिक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है तथा मुझे यह कहते हुए खुशी है कि मेरी सरकार ने अपने इस दायित्व को बखूबी निभाया है। कुछेक बस्तियों को छोड़ कर लगभग सभी गांवों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां तक कि माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए भी किसी बच्चे को अधिक दूर नहीं जाना पड़ता क्योंकि राज्य में ऐसे विद्यालय 2-3 किलोमीटर की परिधि में ही स्थित हैं। सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति तथा प्राथमिक शिक्षा के कारगर प्रबन्ध हेतु प्राथमिक शिक्षा एक पृथक् निदेशालय बनाया गया है। लड़कों के 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग में सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। तथापि, लड़कियों से संबंधित यह उपलब्धि अभी 90 प्रतिशत है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 400 प्राथमिक विद्यालय खोले गए तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान 100 और विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य है। वर्ष 1989-90 के दौरान 160 प्राथमिक, 125 माध्यमिक तथा 30 उच्च विद्यालयों को स्तरोन्नत करके उन्हें क्रमशः माध्यमिक, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक बना दिया गया है। शिक्षा की 10+2 प्रणाली की सुविधा

117 महाविद्यालयों और 231 विद्यालयों में उपलब्ध है। गुड़गांव तथा सोनीपत में दो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों ने काम करना शुरू कर दिया है। ग्रामीण शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए 9 नवोदय विद्यालयों में भी शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। वर्तमान विद्यालय भवनों की स्थिति में सुधार तथा नए भवनों के निर्माण कार्य हेतु यथेष्ट प्रयास किए जा रहे हैं। नौवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत 4.88 करोड़ रूपए के विशेष अनुदान से प्राथमिक पाठशालाओं में 976 कमरों का निर्माण किया जाएगा। स्कूल न जाने वाले बच्चे को आकर्षित करने के विचार से सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को लेखन-सामग्री, निःशुल्क वार्दियां और उपस्थिति पुरस्कार जैसे कई प्रोत्साहन दिए हैं। वर्ष के दौरान विद्यालयों में घुमन्तु कबीलों के 12,000 बच्चे दाखिल किए गए और उन्हें एक वर्ष में 240 दिन तक के लिए एक रूपया प्रति बच्चा प्रति दिन के हिसाब से उपस्थिति भता देकर प्रेरित किया जा रहा है। आगमी वित्त वर्ष में 22,000 बच्चों को यह लाभ पहुंचाने को प्रस्ताव है।

23. उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। चालू भौक्षणिक सत्र में महाविद्यालयों में कुल छात्र संख्या बढ़कर 1,24,990 हो गई जबकि वर्ष 1966 में यह केवल 29,201 थी। महाविद्यालयों की संख्या में अब बढ़कर 133 हो गई है जो 1966 मात्र 45 थी। सिरसा, करनाल तथा महम के महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ की गई हैं एवं चार महाविद्यालयों में नए

विशय भारु किए गए है। मुझे यह उल्लेख करते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि उत्तरी भारत में हरियाणा पहला ऐसा प्रान्त है जिसने पुस्तकालय आन्दोलन को प्रेरणा देने के आ गय से सार्वजनिक पुस्तकालय आधिनियम बनाया है।

24. सरकार 135 संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न अभियान्त्रिकी तथा गैर-अभियान्त्रिकी व्यवसायों में प्रमाण-पत्र स्तर का प्रि िक्षण प्रदान कर रही है। चालू वर्ष में यमुनानगर तथा गुड़गांव में केवल अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए दो यूनिट प्रारम्भ किए गए है। 65 व्यावसायिक ि िक्षा संस्थानों में वसायिक ि िक्षा दी जा रही है। गुड़गांव में राज्य व्यावसायिक ि िक्षा संस्थान स्ीपित करने का प्रस्ताव है। आगामी वर्ष में महिलाओं के लिए भी दो अतिरिख्त औद्योगिक प्रि िक्षण सस्थान खोलने का प्रस्ताव है। हिसार में एक इंजीनियरिंग कालेज खोलना प्रस्तावित है जिसके के लिए अखिल भारतीय तकनीकी ि िक्षा परिशद् का अनुमोदन भीद्घा ही प्राप्त होने की आ ा है। जिला फरीदाबाद के गांव उटावड़ में राजकीय पौलिटैक्निक खोलने के लिये निर्माण कार्य प्रगति पर है। सरकार ने फरीदाबाद में महिलाओं के लिए एक पौलिटैक्निक, हिसार में एक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी संस्थान तथा नारनौल में एक राजकीय पौलिटैक्निक, स्ीपित करने का भी निर्माण लिया है। मेरी सरकार तकनीकी तथा व्यावसायिक ि िक्षा के क्षेत्र मे अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। यह सुनि ि चत करने

के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा कि युवको तथा युवतियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए कि वे विभिन्न व्यवसायों के योग्य बन सकें और विविध क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें।

25. खेल-कूद महत्व बारे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राज्य के बहुत से युवकों तथा युवतियों ने खेल-कूद के क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन किया है। मैं हरियाणा योग दल का विशेष रूप उल्लेख करना चाहता हूँ जिसने पश्चिमी बंगाल के हुगली जिला में भद्रे वरनामक स्थान पर 27 से 30 दिसम्बर, 1989 तक आयोजित राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेरी सरकार समस्त राज्य में पर्याप्त खेलकूद सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। राज्य में पहली बार 11 खलीफो को 200 रूपय मासिक दर से मानदेय के रूप में प्रोत्साहन दिया गया है तथा कुत्ती को राज्य खेल घोषित किया गया है। मेरी सरकार का महम में अन्तराष्ट्रीय स्तर का बहुदेशीय खेल कम्पलैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है जिस पर 4 करोड़ रूपय की लागत आने की संभावना है तथा यह उम्मीद है कि इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार 2 करोड़ का अनुदान देगी।

26. मेरी सरकार ने राज्य में सहकारिता आन्दोलन का प्रबल बनाने के लिए विशेष जोर दिया है। इस समय सहकारी समितियों के 27 लाख से अधिक सदस्यों को 11,000 समितियों के

माध्यम से ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। औसतन, राज्य का हर छठा व्यक्ति किसी न किसी सहकारी समिति से सम्बद्ध है। वर्ष 1988-89 में 251 करोड़ रूपए के लक्ष्य की तुलना में कृषि तथा गैर कृषि प्रयोजनों के लिए मिनी बैंक के माध्यम से 350 करोड़ रूपए में भी अधिक के ऋण उपलब्ध कराए गए। इनमें से ग्रामीण दस्तकारों, खेतिहर मजदूरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में कार्यरत अन्य लोगों को क्रमण 9.75 करोड़, 7.4 करोड़ तथा 15 करोड़ रूपए के ऋण प्रदान किए गए। अगले वर्ष के लिए 362 करोड़ रूपए का लक्ष्य प्रस्तावित है। राज्य में 73 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक कार्य कर रहे हैं जिन्होंने अपने 27,700 सदस्यों को 38.2 करोड़ रूपए के दीर्घवधि ऋण ट्रैकअरों, नलकूपों इत्यदि विविध कृषि प्रयोजनों हेतु दिए हैं। इस वर्ष 40 करोड़ रूपए के ऋण दिए जाएंगे।

सरकारी क्षेत्र में 7 चीनी मिले कार्य कर रही हैं। जिनका कार्य उत्कृष्ट कोटि का रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कम निस्सारण वाले अंचलों की मिलों में भाहबाद तथा सोनीपत की चीनी मिलों ने पहली बार देश में क्रमण प्रथम तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया है जो राज्य के लिए बड़े गर्व की बात है। भाहबाद तथा सोनीपत की चीनी मिलों का क्षमता-उपयोग क्रम 1: 119 तथा 111 प्रति 100 था। सभी सात चीनी मिलों का औसत क्षमता-उपयोग 104.5 प्रति 100 था। राज्य की गन्ना-मूल्य नीति समूचे देश के लिए अनुकरणीय सिद्ध हुई

है। वर्ष 1985 के दौरान 5.6 करोड़ रुपए की हानि की तुलना में गत वर्ष सातों चीनी मिलों को 5.56 करोड़ रुपय का लाभ हुआ। कैथल, भूना और महम में तीन नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित की जा रही हैं जिनके अगले वर्ष चालू हो जाने की संभावना है। सहकारी क्षेत्र में और अधिक चीनी मिलें लगाने हेतु साध्यता-अध्ययन किए जा रहे हैं।

सहकारी संस्थाओं ने, एक ओर किसानों को उनकी उपज के लिए आकर्षक मूल्य सुनिश्चित करा कर तथा दूसरी ओर उन्हें उचित मूल्यों पर कृषि-निवेशन उपलब्ध करा कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हैफेड तथा 72 विपणन समितियों के माध्यम से वर्ष 1988-89 के दौरान 140 करोड़ रुपए की कृषि उपज का व्यापार किया गया और 2.42 लाख टन उर्वरक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराए गए। इस वर्ष के लिए उर्वरकों का लक्ष्य 2.75 लाख टन है। इसके साथ-साथ हैफेड, कृषि पर आधारित उद्योगों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस वर्ष जाटूसाना में एक बारले माल्ट संयंत्र चालू किया गया जिससे उस क्षेत्र के जो-उत्पादकों को लाभ पहुंचेगा। एन0सी0डी0सी0 IV परियोजना के अन्तर्गत कृषि पर आधारित अनेक इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है।

27. राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाया गया है। इस समय समूचे राज्य में आवश्यक वस्तुओं का वितरण 6520 उचित मूल्य की दुकानों (4494 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा

2026 भाहरी क्षेत्रों में) के माध्यम से किया जा रहा है। उचित मूल्य की दुकानें इस ढंग से खोली गईं हैं कि किसी भी उपभोक्ता की को नियमित आवयक वस्तुएं खरीदने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक न चलना पड़े। वर्ष 1989-90 के दौरान नियमित आवयक वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति संतोषप्रद रही है। राज्य सरकार ने आवयक वस्तुओं की कीमतों तथा उपलब्धता के पर्यवेक्षण के लिए राज्य खाद्य सलाहकार समिति तथा जिला एवं उपमण्डल स्तर पर भी खाद्य सलाहकार समितियां गठित की हैं। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को अपना लिया है तथा उसके अधीन विभिन्न निकाय गठित कर दिए हैं। सेवारत जिला तथा सत्र न्यायाधीशों की अध्यक्षता में हिसार और अम्बाला में दो जिला निकायत निवारण फोरम तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में राज्य आयोग का गठन किया गया है।

28. आवकारी नीति में हाल ही में किए गए परिवर्तन मेरी सरकार की प्रगति मिल नीतियों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। सीमेन्ट को छोड़कर अनुसूचीक की सभी वस्तुओं पर बिक्री कर की दर 12 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दी गई। कम्बालों, खण्डसारी और बूरा को बिक्री कर से पूर्ण छूट दी गई है। गेहूं से बने पदार्थों पर बिक्री कर की दर हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम के अधीन 4 प्रतिशत से घटा कर 3 प्रतिशत और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन 4 प्रतिशत

से घटाकर 2 प्रति लीटर कर दी गई है। दूध से बने पदार्थों पर केन्द्रीय बिक्री कर की दर सी/डी फार्म के विरुद्ध 4 प्रति लीटर से घटा कर एक प्रति लीटर कर दी गई है। यद्यपि आबकारी एवं कराधान विभाग का मुख्य कार्य राजस्व एकत्र करना है फिर भी इस विभाग ने व्यापार तथा उद्योग की असली कठिनाइयों की कभी भी उपेक्षा नहीं की। नवम्बर 1989 तक वास्तविक अर्जित राजस्व 477.88 करोड़ रूपए था जबकि गत वर्ष के दौरान इसी अवधि में यह राशि 413.82 करोड़ रूपय थी, अर्थात् इसमें 15.5 प्रति लीटर की वृद्धि परिलक्षित हुई है।

29. मैं अल्प-बचतों के बारे में सरकार द्वारा किए गए प्रोत्साहनीय कार्य का उल्लेख करना चाहता हूँ। अल्प-बचतें न केवल योजना संसाधनों में संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं अधिक कार्यक्रम है अपितु मुद्रा स्फीति विरोधी उपाय भी है। मितव्ययता के प्रति प्रवृत्ति सराहनीय रही है और दीर्घवधि बचत योजना में जमा होने वाली राशि में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1985-86 में 98.04 करोड़ रूपय दीर्घवधि बचत योजना में जमा किए गए थे जबकि 1988-89 में यह राशि बढ़कर 231.07 करोड़ रूपय हो गई और राज्य सरकार को इसके फलस्वरूप भारत सरकार से बढ़ी हुई ऋण की राशि का लाभ पहुंचा है। अल्प-बचतों में 1989-90 के दौरान जमा की गई राशि वर्ष 1988-89 की जमा राशि की अपेक्षा काफी अधिक है जिससे स्पष्ट होता है कि

हरियाणावासी अपने भविष्य के लिए बचत करने को उत्सुक है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राज्य एवं समाज के हित में अल्प-बचत आन्दोलन को अपना सक्रिय समर्थन प्रदान करें।

30 हरियाणा राज्य परिवहन को देश के सर्वोत्तम परिवहन उपक्रमों में गिना जाता है। पिछले 23 वर्षों में बसों की संख्या जो 1-11-1966 को 475 थी, धीरे-धीरे बढ़ कर 30-11-89 को 3,382 तक पहुंच गई। डिपुओं की संख्या बढ़कर 16 तथा उप-डिपुओं की संख्या 19 हो गई है। विभागों ने इस क्षेत्र में बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के मन्तव्य से कुछ और डिपो खोलने का निर्माय किया है।

इस समय हरियाणा राज्य परिवहन अपनी बस सेवाएं 2,000 से अधिक आन्तरिक और अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चला रहा है तथा ये बसे प्रतिदिन 10 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं और इनमें लगभग 15 लाख यात्री करते हैं। प्रति वाहन औसत दैनिक अपयोग 300 किलोमीटर से अधिक है। 30 नवम्बर 1989 तक 99 नई बसें और खरीदी गई हैं तथा 273 बसों को बदल दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान 31-3-1990 तक 200 बसें और खरीदने तथा 387 बसों को बदलने का प्रस्ताव है। अगले वित्त वर्ष में 313 पुरानी बसों का बदलने तथा 128 बसें और बढ़ाने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष में 30-11-89 तक हरियाणा

रोडवेज इंजिनियरिंग कारपोरेट ने 474 बसों का कार्य निर्माण किया।

चालू वर्ष के दौरान विभिन्न स्कीमों जैसे बसों की खरीद, बस अड्डों का निर्माण कार्य गाली का अधुनिकीकरण, मरम्मत तथा अनुरक्षण आदि के लिए 16 करोड़ रूपए का परिपोषित योजनागत प्रावधान किया गया है। आगामी वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए अनंतिम तौर पर 18 करोड़ रूपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

31. बढ़ते हुए पर्यटक आवागमन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सांतवीं योजना अवधि के दौरान पर्यटकों के लिए आवास सुविधाओं में बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है। कमरों तथा बिस्तरों की संख्या बढ़ कर अब क्रमशः 484 व 1,023 हो गई है। फरीदाबाद में एक नया गौल्फ मैदान तथा दमदमा में एक नया पर्यटक केन्द्र चालू किया गया है। महम में चौबीसी-का-चबूतरा नाम ऐतिहासिक सल पर एक रेस्तरां खोल दिया था गया है तथा एक स्टेडियम एवं पंचयायत घर का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है। इन सुविधाओं से क्षेत्र के ग्रामीण लोगों का मनोरंजन होगा। अगले वर्ष के लिए एक अन्य प्रतिष्ठित परियोजना दमादमा के निकट निर्माणधीन मनोरंजन पार्क तथा आसाखेड़ा में संगीतमय फव्वारे का संस्थापन है।

हरियाणा पर्यटन को बस अड्डों पर खान-पान की व्यवस्था करने का अतिरिक्त उतरदायित्व सौंपा गया है और यह सुविधा बल्लगढ़, पानीपत, सिरस, हिसार और पिपली के बस अड्डों पर भी उपलब्ध हो जाएगी। गत वर्षों की भांति वर्ष 1989 सूरजकुण्ड में शिल्प मेला 1 से 15 फरवरी तक आयोजित किया गया जहां हमारे देश के सुप्रसिद्ध शिल्पकारों ने मेला देखने आए भारी जनसमूह के सामने दस्तकारी परम्परागत शिल्पकलाओं को प्रदर्शित किया। हरियाणा में आने वाले पर्यटकों निरन्तर बढ़ती हुई संख्या की जरूरतों को पूरी करने के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य में पर्यटन को प्रोन्नत करने की प्रक्रिया को तीव्रतर किया जाएगा तथा इसके लिए 250 लाख रूपय की राशि प्रस्तावित है। इसके अलावा केन्द्रीय सैक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ अन्य परियोजनाओं के स्वीकृत होने की भी उम्मीद है हरियाणा पर्यटन अन्य राज्यों के पर्यटन निगमों की उपलब्धियों से बहुत आगे निकलते हुई नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। हरियाणा में पर्यटकों को आवागमन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1989 के दौरान लगभग 45 लाख पर्यटक हमारे पर्यटन-केन्द्रों में पधारे तथा अगले वित्त वर्ष में यह संख्या 50 लाख तक पहुंच जाने की संभावना है।

32. लोक सम्पर्क विभाग विभिन्न माध्यमों द्वारा विविध विशयों की जानकारी देकर जनता तथा सरकार की सेवा करता रहा है। यह विभाग सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रकाशन

के दायित्व को भी निभा रहा है। पूरे राज्य तथा देश के अन्य भागों में इसने अपने 146 प्रकाशनों की 20.35 लाख प्रतियां वितरित की। इसी विभाग की गतिविधियों को एक उल्लेखनीय विशेषता यह रही है कि दिसम्बर, 1989 में दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक व्यापार मेले में हरियाणा मण्डल को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है।

33. माननीय सदस्यगण, मैंने सामान्य रूप से विभिन्न विशयों पर अपनी सरकार का नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य संक्षेप में आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। इस स्थिति में यह अपरिहार्य था क्योंकि वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। मेरी सरकार महसूस करती है कि इस अभिभाषण में व्यक्त मुद्दे इस गरिमासम्पन्न सदन में परिचर्चा का उपयुक्त आधार बनेंगे। आपके विचार-विमर्श से मार्गदर्शन प्राप्त करके वर्ष 1990-91 का बजट प्रतिपादित करके उपयुक्त समय पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

वर्तमान अधिवेशन के दौरान आप महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करेंगे। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जनसाधारण के कल्याण का लक्ष्य ही आपके विचार-विमर्श का मार्गदर्शक होगा। मैं आप की सफलता की कामना करता हूँ

यह हिन्द

मुख्यमंत्री को बधाई

डा० मंगल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, मैं एक सबमिशन करना चाहता हूँ। आज इस हाउस में पहले दिन गवर्नर साहब पधारे और चौधरी ओम प्रकाश जी मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सीट पर विराजमान हैं। मैं अपनी और सदन की ओर से उनको बधाई देता हूँ।

भाक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, a Minister will make obituary references.

मुख्यमंत्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, और सम्मनित सदस्यगण, पहले सत्र और इस सत्र के असेस के बीच कुछ महानुभाव स्वर्ग सिधार गए हैं और हमारे हाउस के ही कुछ व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं रहे। कुछ लोक सभा के सदस्य भी ओर दूसरे राजनैतिक लोग भी हमारे बीच से चले गए हैं। मैं उनके लिए ओबिचुअरी रैजोल्यूशन पे प्रस्ताव करता हूँ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह की 26 नवम्बर 1989 को हुई दुःख हत्या पर गहरा भाक प्रकट करता है।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह का जन्म 28 मार्च, 1935 में पड़रौना, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने ग्रामीणों और

दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया। वह 1969–1974 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1980 और 1984 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वह 1980–1982 के दौरान केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक तथा एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत नेता के भागे-सतंप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

पंडित श्री राम भार्मा, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मंत्री पण्डित श्री राम भार्मा के 7 अक्टूबर 1989 को हुए दुःखद निधान पर गहरा भागे प्रकट करता है।

पंडित श्री राम भार्मा का जन्म पहली अक्टूबर, 1889 को झज्जर जिला रोहतक में हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन और असहयोग आन्दोलन में भागे लिया वह 8 वर्ष जेल में रहे। वह 1946 में संविधान सभा के लिए चुने गए। 1952 में वह सचचर मंत्रिमण्डल में मंत्री बने।

उनके निधन से देश एक अनुभवी विधायक तथा एक स्वतन्त्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत नेता के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सरदार प्यारा सिंह, भूतपूर्व राज्य मन्त्री, हरियाणा

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मन्त्री सरदार प्यारा सिंह के पहली जनवरी, 1990 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

सरदार प्यारा सिंह का जन्म 1917 को किला धर्म सिंह, जिला भोखूपुरा, पाकिस्तान में हुआ। वह 1937 में कांग्रेस में शामिल हुए। वह 1939 से 1947 के दौरान स्वतन्त्रता संघर्ष में भाग लेने के कारण तीन बार जेल गए। वह 1962 में पंजाब विधान सभा के और 1968, 1972, तथा 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह 1969 से 1972 तक हरियाणा के संसदीय सचिव/उपमन्त्री रहे। वह 1984-85 के दौरान स्थानीय भासन तथा आवास राज्य मन्त्री और 1985-87 के दौरान सहकारिता राज्य मन्त्री रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासन तथा एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत नेता के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

**कंवर विजयपाल सिंह, भूतपूर्व उपाध्यक्ष, हरियाणा
विधान सभा**

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, कंवर विजयपाल सिंह के पहली नवम्बर, 1989 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

कंवर विजयपाल सिंह का जन्म अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। वह 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वह 1977 में हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष बने।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रतिभासन तथा एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत नेता के भाोक-सतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री जगदेव सिंह खुडिया, लोक सभा सदस्य

यह सदन लोक सभा सदस्य, श्री जगदेव सिंह खुडिया, के असामायिक दुःखद निधन पर गहरा भाोक व्यक्त करता है।

श्री खुडियां नौवीं लोक सभा के सदस्या चुने गए थे। उनकी हमारे देश एवं संविधान के प्रति गहरी आस्था थी। वे स्वभाव से सरल व समाजसेवी व्यक्ति थे। उनके निधन से देश एक अनुभवी योग्य प्रतिभासक तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत नेता के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कामरेड भांकर लाल, भूतपूर्व विधायक हरियाणा

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व विधायक, कामरेड भांकर लाल के 28 सितंबर, 1989 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

कामरेड भांकर लाल का जन्म 21 सितम्बर 1923 को गांव झांसल, जिला श्री गंगा नगर (राजस्थान) में हुआ। वह संयुक्त पंजाब में प्रजा समाजवादी दल के सदस्य तथा समाजवादी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष रहे। वह अपने जीवन-काल में सामाजिक एवं सार्वजनिक तकलीफों को दूर करने के लिए किए गए अन्दोलन तथा असयोग अन्दोलन में भाग लेने के कारण 30 बार जेल गए। आपात काल में मीसा के अन्तर्गत उन्हें 20 महीने की नजरबन्दी की यातना की सहनी पड़ी। वह 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। मृत्यु के समय वह हरियाणा जनता पार्टी के अध्यक्ष थे।

उनके निधन से देश एक विशिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता व एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत नेता के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना करता है।

श्री कि गोरी लाल भूतपूर्व विधायक, हरियाणा

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व विधायक, श्री कि गोरी लाल के 23 सितम्ब 1989 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री कि गोरी लाल का जन्म 17 अक्टूबर, 1917 को हुआ। वह व्यवसाय व्यापारी थे। वह 1953 से 1967 तक कालका नगरपालिका के सदस्य रहे इस अवधि में वह तीन वर्ष तक प्रधान तथा दो वर्ष तक उप-प्रधान रहे। वह 1968 से 1977 तक हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे।

उनके निधन से देा एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है

यह सदन दिवंगत नेता के भाोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

रिजनल इंजीनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र, के आठ विद्यार्थी

यह सदन रिजनल इंजीनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र के आठ विद्यार्थियों के पटियाला में की गई निर्मम हत्याओं पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगत छात्रों के भाोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के गृह मंत्री प्रो० सम्पत सिंह की माता श्रीमति चन्दो
देवी तथा श्री अनिल मोहन्ता सुपुत्र श्री सु लिल मोहन्ता
माहधिवक्ता, हरियाणा

यह सदन हरियाणा के गृह मंत्री, प्रो० सम्पत सिंह, माता श्रीमति चन्दो देवी तथा श्री अनिल मोहन्ता सुपुत्र श्री एस०सी० मोहन्ता, माहधिवक्ता, हरियाणा के दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

यह सदन इन दिवंगतों के भाोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है

डा० मंगल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, कुछ महीनों के अन्तराल के बाद आज सदन मिल रहा है। परम्परा के अनुसार सदन के पहले दिन ही इस बीच में संसार यात्रा समाप्त करके जो लोग चले जाते हैं। उनको स्मारण किया जाता है और ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का श्रद्धांजलि दी जाती है। उसी परम्परा को निभाते हुए हमारे सदन के नेता ने जो भाोक प्रस्ताव आज रखे हैं, और जिन माहनुभावों के बारे में चर्चा की है मैं भी उनके बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन लोगों में से कुछेक के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। आदरणीय पंडित श्री राम भार्मा मेरे भाहर रोहतक के ही रहने वाले थे। उनका जन्म झज्जर जिला रोहतक में हुआ था। वे स्वतन्त्रता संग्राम में अग्रणी थे। उन्होंने अपने जीवन में दोहरा दबाव सहन

किया, एक तो अंग्रेजों से और दूसरे अंग्रेज परस्तों से। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेते हुए आजादी लेने की समां को जारी रखा। उनकी सेवाओं को मानते हुए ही लोगों ने दो बार उन्हें विधान सभा के लिए चुना और वे मंत्री भी रहे। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात यह है कि जिस कांग्रेस के साथ उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया और जेले काटी उसी कांग्रेस से उन्हें हिन्दी आन्दोलन के समय जेल में रखा और इतना ही नहीं आपात काल के दौरान भी उन्हें जेल में रखा। 26 जून को जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो जिस बस में मुझे बैठाया गया, उसी बस में श्री राम भार्मा जी मिले। मैं उनके पास ही बैठा था। मैंने उनसे पूछा कि पंडित जी क्या आप किसी पब्लिक मीटिंग में जा रहे हैं तो वे कहने लगे कि पुलिस वाले जहा ने जाएंगे वह चले जाएंगे चाहे ये पब्लिक मीटिंग में ले जाए या कहीं और ले जाए। वे बड़े निर्भीक व्यक्ति थे। हमारी पुरानी पीढ़ी कके लोग हमसे धीरे धीरे बिछुड़ते जा रहे हैं। वे बड़े सादा व्यक्ति थे। वे सारा जीवन बड़े सादा रहे। मैं उन्हें बड़े निकट से जानता था। उन्होंने अपने जीवन काल में जितने कष्ट उठाए हैं

उनका जितना जिक्र किया जाए उतना ही कम है। स्पीकर साहब, यह तो नियम है कि जिसने आना है उसने एक दिन जाना अव य ही है।

अध्यक्ष महोदय, इन भाक प्रस्तावों में सरदार प्यारा सिंह का भी वर्णन है। वे बड़े सादा व्यक्ति थे। वे पाकिस्तान से

आने के बाद कुरुक्षेत्र जिले के पेहवा में रहने लगे और वही पर रहते हुए उन्होंने लोगों की सेवा की और लोगों का मन जीता। वे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर दो बार जीते और मंत्री भी बने। वे हमारे साथ ही बैठा करते थे। हम उनके साथ कई बार मजाक भी किया करते थे लेकिन दिवंगत से हुए उन मजाकों के बारे में अब हमें कुछ नहीं कहना चाहिए वे बड़े मिलनसार व्यक्ति थे परन्तु प्रकृति के नियमों के अनुसार वे भी संसार से चले गए हैं जिसका हमें बड़ा दुःख हुआ है।

स्पीकर साहब, कुंवर विजय पाल सिंह जी जो गुड़गांव जिले के सोहना से विधायक थे और उपाध्यक्ष के आसन पर भी विराजमान रहे हैं, वे भी चले गए हालांकि उनकी उम्र छोटी थी। इस बात का हम बहुत ही दुःख हैं कि इतनी छोटी उम्र में ही भगवान ने उनको बुला लिया।

स्पीकर साहब, कामरेड भांकर लाल जी का जन्म राजस्थान में हुआ था परन्तु उनका कार्य क्षेत्र जिला सिरसा और प्रौसर सिरसा रहा। सन् 1977 में वे जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने। उन्हें इस का कोई फिक नहीं होता था कि उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है। उन्होंने बड़ा संघर्ष करके अपना रास्ता बनाया। कई बार हम इक्ठे जेल में गए और उनके साथ मैंने भी जेल काटी। वे बड़ी साफ तबियत के आदमी थे। उनका भी निधन हो गया है।

स्पीकर साहब, कालका निवासी श्री कि गोरी लाल जी का भी निधन हो गया है। उद्योगपति होते हुए भी वे जनता की सेवा में जुटे रहते थे और वे विधायक भी बने। उनके निधन से भी बहुत दुःख हुआ है।

स्पीकर साहब, इसमें एक दुःखदायी बात है जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आंतकवादियों ने रीजनल इंजीनियरिंग कालेज के 8 विद्यार्थियों को पटियाला में गोलियों से भून डाला। ये विधार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे एक रात आंतकवादियों ने इन छात्रों पर हमला किया जब कि ये छात्र वहाँ एक समारोह में भाग लेने गए हुए थे। आंतकवाद का यह सिलसिला अभी तक ज्यों का त्यों जारी है। आंतकवाद का सिलसिला पहले पंजाब में ही चल रहा था परन्तु अब यह का मीर घाटी में भी जा पहुँचा है। इन आंतकवादियों का भारत की प्रभुसत्ता से अलग अपनी सौवरन स्टेट बनाने का मंतव्य है। ये आंतकवादी अपनी सौवरन स्टेट बनाना चाहते हैं। हिन्दुस्तान की जनता उनके मनसूबों को कभी भी पूरा नहीं होने देगी। केन्द्र में जब तक राष्ट्रीय मोर्चे सरकार है, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन उसके साथ है। यह सरकार कभी भी आंतकवादियों के मनसूबों को पूरा नहीं होने देगी। श्री गोबिन्द राम बहुत ही अच्छे पुलिस अफसर थे, उनको इन आंतकवादियों ने मार डाला। का मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर वार्ड्स प्रैजिडेंट श्री टिपलू साहब की भूट कर डाला। बारमूला में

भी हमारे एक वरिष्ठ साथी का भूट कर डाला। इस प्रकार अनेकों लोग आंतकवादियों के हाथों मौत का शिकार हुए। मैं सदन के नेता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आंतकवादियों के हाथों से मारे गए इन लोगों के नाम भी इस भाोक प्रस्ताव में शामिल कर लिए जाएं।

हमारे सदन के माननीय सदस्य तथा गृह मंत्री प्रोफ़ेसर सम्पत सिंह जी की माता जी का भी निधन हो गया है और वे मातृ प्रेम से वंचित हो गए हैं। हमारी सहानुभूति उनके साथ है।

स्पीकर सर, इन महान् दिवंगत आत्माओं को, जिनको इस भाोक प्रस्ताव में शामिल किया गया है, तथा जिनका मैंने जिक्र किया है मैं नमस्कार करता हूँ और परमापिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन महान् आत्माओं का अपने चरणों में स्थान दे। इन भाब्दों के साथ मैं इन प्रस्ताव का अपनी और से तथा अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री हरनाम सिंह (गढ़बाद): स्पीकर साहब, सदन के नेता ने जो भाोक प्रस्ताव पेश किया है मैं उस का समर्थन करता हूँ। सबसे पहले मैं पंडित श्री राम भार्मा का जिक्र करना चाहता हूँ जिन पर सारे हरियाणा को गर्व है। वे बहुत ही महान् लोगों में से एक थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दीं। पंडित जी सारी उम्र संघर्षरत रहे। सन् 1947 तक वे भारत को स्वतन्त्र

कराने की जद्दो जहद में लगे रहे और दे 1 के आजाद हो जाने के बाद वे दे 1 की उन्नति के लिए लगातार काम करते रहे।

16.00 बजे

सरदार प्यारा सिंह जी मेरे साथ ही पाकिस्तान से भारत आए थे। हम दोनों एक ही स्थान जिला भोखपुरा के ननकाना साहब से आए थे और 4-5 साल के अन्तर में हम दोनों राजनीति में आए। उन्होंने दे 1 की आजादी के लिए काम किया आर यहां आ कर एम0 एल0 ए0 भी बन। वे कुरुक्षेत्र जिले में पेहवा और लाडवा क्षेत्रों में जनता की सेवा करते रहे। अभी पिछले दिनों मैं उनकी भाोक सभा में गया था। वहां पर काफी गरीब लोग इक्ठे हुए थे। उनका गरीब लोगों क साथ बड़ा गहरा संबंध था। वे हमें 11 से ही चूंकि गरीबों के लिए काम करते थे इसलिए गरीब लोगो के सेवक के नाम से याद किए जाते रहेंगे।

कामरेड भांकर लाल समाजवादी लीडर थे। सारी जिन्दगी उन्होंने लोगों के लिए काम किया। जैसा कि अभी डाक्टर मंगल सैन जी ने कहा, वे दृढ़ नि चय के व्यक्ति थे। जहां खड़े हो गए वहां हो गए, वहां से उन्हें कोई हटा नहीं सकता था। अगर कोई व्यक्ति उनसे मतभेद करता था तो करे लेकिन जब वे खड़े होते थे तो खड़े ही रहते थे।

स्पीकर साहब, पटियाला में जो विद्यार्थियों का हत्याकांड हुआ है, यह सिलासिला लगतार कई सालों से चला रहा

था है। यह बड़े भार्म की बात है कि कानपुर और कुरुक्षेत्र इंजीरियरिंग कालेजो के जो बच्चे पटियाला गए थे उन्हें गोलियों का नि ाना बनाया गया। यह इंसानियत की बात नहीं है, यह गिरावट की बात है। अभी कुछ दिन पहले मैम्बर पर्लियमेंट श्री जगदेव सिंह खुडिया की हत्या किसने की है, यह तो इक्वायरी होने पर ही पता लगेगा लेकिन जो हालात है उनके लिए वही लोग जिम्मेदार है। आज दे ा में नयी सरकार आ आई गई है। जिस सरकार का आंतकवादी विरोध किया करते थे, वह सरकार नहीं रही। अब नयी सरकार केन्द्र में आ गई है। नयी सरकार को नया रूख लेना चाहिए। आज पंजाब के अकाली लीडर्ज श्री प्रका ा सिंह बादल, श्री सिमरनजीत सिंह मान और श्री सुरजीत सिंह बरनाला पर यह जिम्मेदारी आती है कि वे आंतकवादियों को ठीक रास्ते पर लायें और वे इस ठीक समय का उपयोग करें। अगर ये ठीक नहीं होंगे तो पंजाब के लिए, सिखों के लिए ओर दे ा के लिए भी ठीक नहीं होगा। बहुत ही गलत होगा। पटियाला में जो नौजवान गए थे वे मां-बाप से अलग हो गए। वे किस हालात में कुरुक्षेत्र से आए थे और किस हालात में गए यह बड़े ही दुःखदायी बात है। एक परिवार की औरत ने अपने बच्चे को पाल-पोसा, पढाया और वह होनहार बच्चा अब उनके पास नहीं रहा, इससे बड़ी दुःखदायी बात और क्या हो सकती है?

प्रोफ़ैसर सम्पत सिंह की मा का देहान्त हो गया, बड़ दुख की बात है। का प्यार जब चला जाता है यानी मेहर और

हमदर्दी का हाथ जब उठ जाता चाहे कितनी ही उम्र क्यों न हो, लेकिन उनका सहारा और आशीर्वाद तो होता ही है। जो आया है वह जाएगा अब य। सम्पत सिंह जी को बड़ा सदमा पहुंचा है। भगवान उन्हें इस सदमे को बरदास्त करने की भावित दे। इस भावों साथ मैं सभी महानुभावों को श्रद्धांजली अर्पित करता हूं।

श्री किरया पुनिया (बडौदा-अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, सदन नेता ने जो भाव प्रस्ताव रखा है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। काफी सारे महान व्यक्ति पिछले सैकड़ों सालों से अब तक हमारे बीच से बिछुड़ गए हैं। कई नेताओं को मैं निजी तौर पर जानता था। पंडित श्री राम भार्मा से मेरा बचपन से ही बड़ा नजदीकी संबंध रहा है। वे बड़े सच्चे इंसान थे। उन्होंने जीवन भर गरीबों के लिए सघर्ष किया, हर तरह की कुर्बानी दी। सच बात तो यह है ऐसे सच्चे इंसानों की पीढ़ी समाप्त होती जा रही है। इसी तरह से सरदार प्यारा सिंह जी भी सदन के आदरणीय सदस्य रहे और मंत्री भी रहे। उनके साथ भी मेरा काफी निजी संबंध रहा है। वे भी बड़े सच्चे इंसान थे। गरीबों के हमदर्द, हंसमुख और भोले भाले इंसान थे। हर तरह से गरीब आदमी का काम सचार्ड के साथ करने की कोशिश करते थे। इसी तरह से कंबर बिजायपाल सिंह जी के साथ भी मेरा निजी संबंध रहा है। वे इस सदन के उपाध्यक्ष भी थे। उनके साथ उपाध्यक्ष होते हुए भी संबंध रहा और उसके बाद भी काफी मिलना जुलना रहा है। वे बहुत ही हंसमुख और सच्चे इंसान थे।

वे आज हमारे बीच नहीं रहे बड़ा दुःख है। कामरेड भांकर लाल जी भी आज इस दुनिया में नहीं रहे। वे जीवन भर सघर्ष करते रहे। उन्होंने हमें गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और हर कठिनाई का मुकाबला किया। हर परे गानी का सामना और हर मुखलिफत का सामना करते हुए सच्चाई के लिए वे लड़ते रहे और डटे रहे। वे भी हमारे बीच में नहीं रहे। इसी तरह से श्री कि गोरी लाल जी इस विधान सभा में एम0 एल0 ए0 रहे। उद्योगपति होते हुए भी गरीब लोगों के हमें गी हमदर्द रहे। वे भी हमारे बीच से बिछुड़ा गए हैं। इसी तरह से स्पीकर साहब, ये जो 8 विद्यार्थी इस तरह का आंतकवाद सारे दे ी के लिए भार्म की बात है। काफी सारे नौजवान छात्र वहां पर मारे गए थे। उनके लिए भी हम संवेदना प्रकट करें, यह हमारे समाज का फर्ज बनता है। इसी तरह से गृह मंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया। उसका भी हमें बहुत अफसोस है। हम उनके प्रति भी संवेदना प्रकट करते हैं

स्पीकर साहब, जिस तरह से हमारे साथी डाक्टर हरनाम सिंह जी ने बात कही थी कि आंतकवाद का आजकल पंजाब में बड़ा भारी बोल-बाला है और लगभग रोजाना ही हत्याएं हो रही हैं उसी तरह का वातावरण आज हरियाणा में भी ग्रीन ब्रिगेड के लोगों द्वारा पैदा किया जा चुका है।.....

Mr. Speaker: This most unbecoming. Please do not politicalise it. (Noise)

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, आप मेरी पूरी बात तो सुने।

Mr. Speaker: Please take your seat now.

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब,.....

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded.

उप-मुख्यमंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): स्पीकर साहब, इसमें ज्यादा खेद की और कोई बात नहीं हो सकती। इस सदन के इतिहास में ऐसी बात कभी नहीं हुई। आज तक कोई कन्ट्रोवर्शियल बात कभी भी भाोक-प्रस्ताव के दौरान उठाई नहीं गई। (गोर व व्यवधान)

श्री किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए सदन के नेता से यह प्रार्थना करूंगा कि जो 6 मासूम लोग इलैकान के दिनों में मारे गए एक तो उनके और दूसरे एक मासूम बच्चा जो दो तारीख का राजौंद में मारा गया, उसका नाम भी इस भाोक प्रस्ताव में भामिल कर लिया जाए।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, हम तकरीबन 4 माह के बाद आज मिल रहे हैं। बहुत पुरानी परम्परा के मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाोक प्रस्ताव रखा है। वैसे ताईवर की कृपा है कि यह सूची काफी छोटी है और इस बात पर हमें संतोश करना चाहिए लेकिन कोई भी इस देना की हस्ती अगर जाती है या देना का कोई भी नुकसान होता

है तो हमारा ही नुकसान है। इस सूची के मुताबिक हरियाणा की कई महान विभूतियां हमसे बिछुड़ गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह का इस में जिक्र आया है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत तौर पर ताल्लुक नहीं रहा। लेकिन दो महापुरुष ऐसे हैं जिनके साथ मुझे थोड़ा-बहुत कभी-कभार मिलने का मौका मिलता रहा है। प्यारा सिंह जी से मिलने का पिछले अर्स में मेरा सौभाग्य रहा है। चाहे वे योग्य प्रपासक रहे हो या बहुत बड़े समाज सेवी रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वे एक स्वतन्त्रता सेनानी रहे हैं। स्वतन्त्रता सेनानी जिन्होंने आजादी की जद्दोजहद में अपना जीवन दांव पर लगाया है, उनको किन भावों में अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की जाए, मेरे ख्याल से इसके लिए उचित भाव भारतीय समाज के पास नहीं हो सकते। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना सब कुछ उस आजादी के लिए दांव पर लगा दिया जिस का हम आज उपयोग कर रहे हैं। मैं उनको अपनी हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ। इसके साथ ही हमारे माननीय गृह मंत्री जी की माता जी का जिक्र आया है। वैसे तो संसार में सबको आना-जाना पड़ता है लेकिन माता का साया सिर पर से उठ जाना एक बहुत बड़ी क्षति है और माता के प्रेम से वंचित हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। आपने पिछले दिनों महाभारत में भी देखा होगा कि माता की कितनी भाक्ति मानी गयी है। गान्धारी ने दुर्योधन को अपने आर्षिवाद से वंचित रखा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आर्षिवाद

जीवन में बहुत आवयक है। आज हमारे गृह मन्त्री महोदय मां की ममता से वंचित हो गए है, इसका हमें हार्दिक दुःख है।

अध्यक्ष महोदय, करनाल कांड का यहां जिक्र किया गया है। ऐसे मौके पर राजनैतिक भावना से कोई बात नहीं करनी चाहिए। यह बहुत छोटी बात है। लेकिन चूंकि इसका जिक्र आ चुका है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं। (गोर एवं व्यवधान).....
....

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, ऐसे विशय पर जिसका संबंध राजनैतिक है और जिसकी चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह चर्चा कर रहे है उसके बारे में राज्यपाल महोदय क भाशण पर डिस्कान के समय कहा जा सकता है। इस वक्त इन बातों का कहना इसके लिए भाभा नहीं देता। यह अच्छी परम्परा नहीं है। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप सुन तो लीजिए। मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं। मैं कोई ऐड्रेस की बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि हमें एक स्वस्थ परम्परा डालनी चाहिए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह जी आपको दो दिन गर्वनर ऐड्रेस पर मिलेगे आप जो कुछ भी कहना चाहें उस समय कहना। आप इस वक्त विशय से बाहर न जाएं। इस वक्त इन बातों को कहने का मौका नहीं है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहने जा रहा हूँ कि हमें ऐसी परम्परा छोड़ देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, करनाल कांड का भी यहां गवर्नर एड्रेस में जिक्र किया गया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, कोई चीज रिकार्ड पर आ गई है मैं उसकी तरफ इतारा करना चाहता हूँ। इस बारे में पिछली सरकार का जिक्र करना परम्परा के विरुद्ध बात है। कांग्रेस की पिछली सरकार के समय में आंतकवाद का जिक्र यहां किया गया। यह परम्परा के विरुद्ध है। जब हम एक स्वस्थ पराम्परा कायम करना चाहते हैं तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए वरना इस पर बहस की जाए। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Mahender Pratap ji please go a-head.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: मैं वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उनके लिए यह समय बहुत थोड़ा है। अभी तो वे आए ही हैं। इसके लिए अभी उन जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। (गोर एवं व्यवधान) लेकिन पिछली सरकार इससे बच नहीं सकती। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: This is not to be recorded. (Noise & interruptions)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: आप चाहें तो मेरे भाब्द कार्यवाही से निकाल दे लेकिन वे बातें भी न रखी जाए जो इन्होंने कही हैं।

श्री अध्यक्ष: चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह जी आप तो बहुत पुराने लेजिस्लेटर है आपको इस मौके पर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। Please take you seat.

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, इस बात का अफसोस है कि औबिजुअरी रैफरैन्सिज के ओकेजन पर चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह जैसे माननीय सदस्य, जो बहुत ही सीनियर मैम्बर गिने जाते हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। यह उनके लिए भाभा की बात नहीं है। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं तो कुछ नहीं कहता। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जो बातें पहले कही गई हैं उनको भी रिकार्ड निकाल दिया जाए। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Mahender Pratap ji, please take you seat.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: मैं तो यह कहता हूँ कि यह परम्परा नहीं डालनी चाहिये। अगर हमारी कोई कमी है तो मैं उसको भी स्वीकार करने में नहीं हिचकिचाता लेकिन आप उधर भी तो कहें। अगर मैं कोई गलती करता हूँ मुझे माफी मांगने में भी कोई गुरेज नहीं है। (गोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ से जो महानुभाव हमसे बिछुड गए हैं उनके प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ और परमात्मा

से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको इस दुःख को बहन करने की भाक्ति प्रदान करे।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, कामरेड गुरचरण सिंह रन्धावा एक बहुत बड़े फीडम फाइटर थे (व्यवधान)। मेरी प्रार्थना है कि इनका नाम इस लिस्ट में जोड़ लिया जाए।

मुख्यमंत्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, ठीक है उनका तथा जनरल मोहन सिंह का नाम भी शामिल कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण मुख्यमंत्री महोदय ने जो लोग हमसे बिछुड़ गए उनकी एक लम्बी लिस्ट रखी है। बड़े दुःख की बात है कि वे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने देश के लिए जेल काटी और जिन्होंने देश की आजादी के लिए दिन रात काम किया, वे आहिस्ता आहिस्ता संसार से उठ रहे हैं। इनमें से मैं ज्यादा लोगों को तो नहीं जानता लेकिन सरदार प्यारा सिंह मैं निजी तौर पर जानता हूं। 1962 में वे करनाल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रैजिडेंट हुआ करने थे। उस करनाल जिले के जिसके आज चार जिले बन हैं उसके वे कांग्रेस प्रैजिडेंट थे। सरदार प्यारा सिंह करनाल में सुबह से लेकर शाम तक लोगों के काम के लिए घूमा करते थे। सौ-सौ दो-दो सौ वर्कर्स उनके साथ होते थे और वे एक दफतर से दूसरे दफतर और तीसरे दफतर लोगों के काम के लिये घूमा करते थे। 1972 से लेकर 1977 तक वे मेरे

साथ एम0 एल0 ए0 रहे हैं। उस समय गुप्ता जी मंत्री होते थे और मैं भी मंत्री होता था। वे कांग्रेस ने जनरल सेक्रेटरी होते थे। एक बात मुझे याद है और जिनको गुप्ता साहब भी आज याद करवा रहे थे। किसी ने हमारी विनायत उनमें की। उन्होंने कहा कि मैं दोनों को सस्पैन्ड कर दूंगा। वे इतने तगड़े वर्कर थे कि जहां भी वे रहे उनको अपनी बात याद रहती थी।

इस तरह से मेरे एक साथी श्री किशोरी लाल जी भी थे। मैं उन्हें कहा करता था कि लाल जी, आप बिजनैसमैन तो बहुत बड़े हैं लेकिन यहां पर बहुत कम आते हैं और बोलते भी बहुत कम हैं लेकिन उनके बारे में इतना अवश्य कहूंगा कि वे काम खूब करते थे।

प्रोफेसर सम्पत सिंह जी की माता जी का निधन हुआ और उनका साया सम्पत सिंह जी के सिर से उठ गया यह बड़े ही दुःख की बात है।

मैं कुछ दिन पहले खुडिया गांव श्री जगदेवसिंह खुडिया जी के अन्तिम संस्कार में शामिल होने के लिए गया। यह तो कमीशन ने देखना है कि कितनी हालात में खुडियां जी की मौत हुई लेकिन वहां पर हजारों की तादाद में जो लोग इकट्ठे हुए थे, वे कह रहे थे। कि यह बहुत जुल्म हुआ है।

पटिलयाला के अन्दर जो स्टूडेंट्स का कतल हुआ, वह भी एक बड़ा जुल्म हुआ है। आज भी बहुत सारे बेगुनाह हमारे जा

रहे है जिसके लिये हम सब को बेहद दुःख है। मतै इस दुःख में अपने आप को भारीक करता हूं और इन सभी दिवंगत महानुभावों को अपनी श्रद्धांजली आर्पित करता हूं। मै इन हाउस की और से उनके दुःखी परिवारों को डीप सिम्पथीज पहुंचा दूगा।

अब मै हाउस से विनती करूंगा कि इन महान् आत्माओं की भान्ति के लिये खड़े होकर दो मिनट के लिये मौन धारण करें।

(इस समय दिवंगत व्यक्तियों के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट को मौन धारण किया।)

घोशणाएं—

(क) अध्यक्ष द्वारा—

(i) सदस्यो का त्याग—पत्र

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान हरियाणा विधान सभा के रूलज औफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट औफ बिजनैस के रूल 58 (1) के अनुसार हाउस को इंफार्म करना है कि—

(1) Shri Raghu Yadav has resigned his seat in the Haryana Legislative Assembly vide his letter dated the 24th September, 1989, which has been accepted on the 4th October, 1989, and his seat, as you know has been filled up by the cloction of Shri Ajay Singh.

(2) Shri Devi Lal has resigned his seat the Haryana Legislative Assembly vide his letter dated the 5th Decomber, 1989 and the some has been accpted from the said date.

(3) Shri Gurdial Singh has also resigned his seat in the Haryana Ligislative Assembly vide his letter dated the 13th December, 1989 and same has been accepted from the said date.

(ii) पैनल आफ चेयरमैन साहब,

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान हरियाणा विधान सभा के रूल्ज और प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट औफ बिजनैस के रूल 13(1) के अनुसार मै फोलोइंग मैम्बर्ज को पैनल औफ चेयरमैन में काम करने के लिये नौमिनेट करता हू—

1. श्री आत्माराम ।
2. श्री किान सिंह सांगवान ।
3. श्रीमति सुशमा स्वराज ।
4. श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ।

(ख) सचिव द्वारा—

(i) राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: अब सैकेटरी साहब अनाउंसमेंटस करेंगे ।

Secretary: Sir I beg to lay on the Table of the House a statement showing the bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its September Session, 1989, and have since been assented to by the Governor.

Statement

(1) The Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill, 1989.

(2) The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1989.

(3) The Punjab Medical Registration (Haryana Amendment) Bill, 1989.

(4) The Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1989.

(5) The Punjab Homoeopathic Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1989.

(6) The Haryana Appropriation (No.3) Bill, 1989.

(7) The Haryana Public Libraries Bill, 1989.

(8) The Haryana Corneal Grafting (Amendment) Bill, 1989.

(9) The Haryana General Sales Tax (Second Amendment and Validation) Bill, 1989.

(ii) कांस्टिच्यू इन (62वां अमेंडमेंट) बिल 1989 की रेटिफिके इन सम्बन्धी

Secretary: Sir, I also beg to lay on the Table of the House a copy each of the following documents received from the House of People regarding the ratification of the Constitution (Sixty-Second Amendment) Bill, 1989.

(i) Letter dated the 27th December, 1989 received from the Secretary-General Lok Sabha, New Delhi,

(ii) The Constitution (Sixty-Second Amendment) Bill, 1989 (English and Hindi versions), as introduced in the Council of States.

(iii) The Constitution (Sixty-second Amendment) Bill, 1989 (English and Hindi versions), as passed by the two Houses of Parliament,

(iv) Lok Sabha Debate on the Constitution (Sixty-second Amendment) Bill, 1989, and

(v) Rajya Sabha Debate on the Constitution (Sixty-second Amendment) Bill, 1989.

**बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पे ।
करना**

श्री अध्यक्ष: अब मैं बिजनैस के बारे में बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी द्वारा फिक्स किया गया टाइम टेबल रिपोर्ट करता हूँ—

The Committee met at 10.00 A.M on Monday, the 15th January, 1990 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in session, shall meet on Monday, at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. on Tuesday at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. and Wednesday at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the list of Business for the day with-out question being put. However, on Monday, the 15th January, 1989. the Assembly Shall meet immediately half an hour after the concluseon of the Governor's Address without question being put,

The Committee after some discussion also recommends that the business on 15th January to 17th January, 1990, be transacted by the Sabha as follows:-

The House will meet immediately half an hour after the conclusion of Governor's address on the 15 th January 1989	1.	Laying a copy of the Governor's Address on the Table of the House.
	2.	Obituary References.
	3.	Presentation and adoption of the First Report of the Business Advisory Committee.
	4.	Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	5.	Presentation of Five Preliminary Reports of the

		Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final Reports thereon.
Tuesday, the 16 th January, 1990 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Motion under Rule 22(2).
	3.	Official Resolution- Constitution (Sixty- second Amendment) Bill 1989- Ratification thereof.
	4.	Discussion on Governor's Address.
Wednesday, the 17 th January 1990 (9.30 A.M.)	1.	Question Hour.
	2.	Motion under Rule 15 regarding Non-stop sitting.
	3.	Motion under Rule 16 regarding Adjournment of the Sabha Sine-die.
	4.	Resumption of discussion on the Governor's Address and Voting on Motion of

		Thanks.
	5.	Legislative Business.
	6.	Any other Business”,

अब पार्लियामैटरी अफेयर्ज मिनिस्टर प्रस्ताव करेंगे कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गई रिक्मेंडे ाज से सहमति प्रकट करता है ।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh): Sir, I beg to move-

That the House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गई रिक्मेंडे ाज से सहमति प्रकट करता हूं ।

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गई रिक्मेंडे ाज से सहमति प्रकट करता हूं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पे ा हुआ—

राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हुए विध्न पर
अफसोस प्रकट करना

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, आज 2.00 बजे हमारे महामहिमा गवर्नर साहब ने इस साल का पहला सै इन सै इन होने के उपलक्ष में अपना अभिभाषण पढ़ा। जब गवर्नर साहब अपना अभिभाषण पढ़ने के लिए खड़े हुए तो उस समय हमारे हाउस के बहुत ही सीनियर माननीय सदस्यों ने उनके अभिभाषण में विध्न डाला। सभी माननीय सदस्यों को पता है कि हमारे संविधान में गवर्नर का पद रखा गया है और गवर्नर साहब हाउस के सभी माननीय सदस्यों की तरफ से इस बात में पात्र है कि उनको मान सम्मान मिले। उस समय माननीय सदस्यों ने जो व्यवहार किया वह कोई अच्छी परम्परा नहीं थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वे माननीय सदस्य आर्यदा उस किस्म की बातों से बचेंगे जिनसे गवर्नर साहब को यह सर्वविदित था कि कल ही गवर्नर साहब के अभिभाषण पर चर्चा भुरू होनी है और उस समय स्पीकर साहब की तरफ में माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलना था। वे जो कुछ भी उस समय अपनी बात कहना चाहते, उसके लिये उनका पूरा मौका मिलना था। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूँ कि वे आर्यदा इस प्रकार की कोई बात न कहें जिससे गवर्नर साहब के मान सम्मान में कोई फर्क आए। गवर्नर साहब को जो इनकनाविनियंस हुई उसके लिये हमें बड़ा अफसोस है। (गोर)

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, हमारे पालियामैट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने एक बात कही है कि हमने गवर्नर साहब की भान के खिलाफ बात कही है लेकिन हमने गवर्नर साहब की भान के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं कही और न ही हमारा इस तरह का कोई मं ता था। हमने सिर्फ यह कहा.....
(गोर)

श्री अध्यक्ष: उस समय जो आपने कहा, वह हमने सुन लिया। Please nothing more.

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, गवर्नर साहब प्रजातन्त्र की जिस प्रणाली के तहत यहां हाउस में आए थे उसको खत्म किया जा रहा है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: आपकी बात आ गई है। अब आप बैठिए।

Dr. Mangal Sein: Mr. Speaker, I am extermely sorry as i was a bit late in the morning today. लेकिन मुझे पता लगा कि गवर्नर साहब को अपना अभिभाषण पढ़ते समय इन्ट्रूट किया गया। यह बहुत ही बुरी बात हुई। स्पीकर साहब, माननीय सदस्य प्रजातन्त्र की दुहाई दे रहे हैं। मैं इन्हें यह बात कहना चाहता हूं और यह बात ठीक है कि इनको विधान सभा का सदस्य बनते ही मंत्री बनने का मौका मिल गया। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो कुछ किया, क्या वह लोकतन्त्र की हत्या नहीं है? आपने ही लोकन्त्र की

हत्या की है, जनता का अपमान किया है आपने जो कुछ किया, उस बारे में आप ही बता दें कि लोकतन्त्र की हत्या किसने की है और जनता का अपमान किसने किया है? उस बारे में आप अपनी बात कह दें, हम उसको सुन लेंगे।

Mr. Speaker: Nothing more on the subject now. Let us proceed further.

सदन की मेज पुनः रखे गए/रखे गए कागज-पत्र

श्री अध्यक्ष: अब एक मिनिस्टर साहब टेबल ऑफ दि हाउस पर पेपर री ले/ले करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh): Sir, I beg re- lay on the table-

1. The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 35/Const./Art. 320/Amend (1)89, dated the 3rd April, 1989 regarding the Haryana public Service Commission (Limitation off Functions) First Amendment Regulations, 1989, as required under Article 320(5) of the Constutions of India.

2. The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 36/Const./Art. 320/Amend (2)89, dated the 10th April, 1989 regarding the Haryana public Service Commission (Limitation off Functions) First Amendment Regulations, 1989, as required under Article 320(5) of the Constutions of India.

3. The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 44/Const./Art. 320/Amend (3)89, dated the 10th May, 1989 regarding the Haryana public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1989, as required under Article 320(5) of the Constitutions of India.

4. The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 68/Const./Art. 320/Amend (3)89, dated the 21st August, 1989 regarding the Haryana public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1989, as required under Article 320(5) of the Constitutions of India.

5. The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 73/Const./Art. 320/Amend (5)89, dated the 5th September, 1989 regarding the Haryana public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1989, as required under Article 320(5) of the Constitutions of India.

6. The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 48/H.A. 3/70/S. 8&9/89, dated the 3rd April, 1989 regarding the Haryana public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1989, as required under Article 320(5) of the Constitutions of India.

7. Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 38/H.A. 20/73/S. 64/89, dated the 19th April, 1989 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment)

Rules, 1989 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

8. Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 46/H.A. 20/73/S. 64/89, dated the 17th May, 1989 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1989 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

9. Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 66/H.A. 20/73/S. 64/89, dated the 25th July, 1989 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1989 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

10. The Medical Education and Health Department Notification No. G.S.R. 97/H. 21/73/S. 3/88, dated the 8th December, 1988 regarding the Haryana Medical Education Service Rules, 1988, as required under Sub-section 3 of Section 3 of Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Act, 1986.

Sir, I also beg to lay on the Table.

11. Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 75/H.A. 2073/S. 64/89, dated the 19th September, 1989 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1989 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

12. The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 79/Const./Art. 320/Amend (5)89, dated the 29^h September, 1989 regarding

the Haryana public Service Commission (Limitation off Functions) First Amendment Regulations, 1989, as required under Article 320(5) of the Constutions of India.

13. The General Addministration Department (General Services) Nothification No. G.S.R. 86/Const./Art. 320/Amend (7)89, dated the 6th November, 1989 regarding the Haryana public Service Commission (Limitation off Functions) First Amendment Regulations, 1989, as required under Article 320(5) of the Constutions of India.

14. The General Addministration Department (General Services) Nothification No. G.S.R. 92/Const./Art. 320/Amend (8)89, dated the 20th December, 1989 regarding the Haryana public Service Commission (Limitation off Functions) First Amendment Regulations, 1989, as required under Article 320(5) of the Constutions of India.

15. The Revenue Department Nothification No. G.S.R. 88/H.N. 9/89/S.23/89 dated the 10th November, 1989 regarding the Haryana Relief of Agricuature Indebtedness Rules, 1989 as required under Section 23(3) of the Haryana Relief of Agricultral Indbtedness Act, 1989

16. The Annual Financial Statement of the Haryana State Electricity Board for the year 1989-90 and revised Estimates. for the year 1988-89 as required under Section 61(3) of the Electricity (Supply) Act, 1948

17. (i) The Finance Accunts the Government of Haryana for the year 1987-88 in pursuance of the provisions of fClause (2) of Artcle 151 of the Constitution of India.

(ii) The Appropriation Accounts of Government of Haryana for the year 1987-88 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

(ii) The Report of Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1988 No.3 of 1989 (Civil) of the Government of Haryana in pursuance of the Provisions of Clause(2) of Article 151 of the Constitution of India,

विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(i) श्री हजारी लाल, पुलिस उपाधीक्षक, जीन्द के विरुद्ध

श्री अध्यक्ष: अब श्री भगवान सहाय रावत एम० एल० ए० चेयरमैन प्रिविलेजिज कमेटी 12 सितम्बर 1987 को श्री हजारी लाल, डिप्टी सुप्रीन्टैंडेंट पुलिस जीन्द द्वारा टेलीफोन पर श्री डी० डी० मंत्री तथा हाउस के अगेस्ट मोस्ट डैरोगेटरी इंसल्टिंग एण्ड कंटेम्पचुअस लैंग्वेज प्रयोग करने सम्बन्धी अभिकथित विशेषाधिकार भंग करने के प्रश्न के इतु पर कमेटी का सिक्सथ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रैजेंट करेंगे तथा टाईम ऐक्सटेंशन के लिए मोशन मूव करेंगे।

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairman Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Shri Hazari Lal, Deputy Superintendent of Police, Jind in respect of his using

most derogatory, insulting and contemptuous language against Shri D.D. Attri, M.L.A. and the House on 12-9-1989 on phone

Sir, I beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पे 1 हुआ—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रैजेंट करने के लिए नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाइम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रैजेंट करने के लिए नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाइम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) श्री इन्द्र सिंह नैन तथा श्री भले राम भूतपूर्व एम0 एल0 एज0 के विरुद्ध

श्री अध्यक्ष: अब श्री भगवान सहाय, एम0 एल0 ए0 चेयरमैन प्रिविलेजिज कमेटी श्री इन्द्र सिंह नैन और भेल राम, ऐक्स एम0 एल0 एज0 द्वारा 21 दिसंबर, 1987 को सैशन में

उपस्थिति होने के लिए हरियाणा विधान सभा की ओर आते समय माननीय चौधरी देवी लाल, उस समय के मुख्यमंत्री तथा सर्वश्री वासुदेव भार्गव, मांगे राम तथा धीरपाल, एम0 एल0 एज0 को रोकने तथा हाथपाई करने सम्बन्धि अभिकथित विशेषाधिकतर भंग करने के प्रश्न संबंधी मामले पर समिति की फिफथ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे तथा टाईम एक्सटेंशन के लिए मोशन मूव करेंगे।

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairman Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privileges against Shri Inder Singh Nain and Shri Bhalle Ram, Ex M.L.As. in regard to the obstruction and manhandling of (the then) Hon'ble Chief Minister and Sarvshri Vasudev Sharma. Mange Ram and Dhir Pal, M.L.A. while they were coming towards the Haryana Vidhan Sabha to attend the Session on 21st December, 1987.

Sir, I also beg to move-

That the time for me presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पेश हुआ—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए नैक्सट सेशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम एक्सटेंड कर दिया जाए।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह(मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, इस मामले में प्रिविलेज कमेटी अपनी फाईनल रिपोर्ट देने के लिए विधान सभा के तकरीबन पांच छः सै मन्ज की सिटिंग में टाईम ऐक्सटैन्ड करवा चुकी है। मैं आपके जरिए जानना चाहता हूँ कि अब यह कार्यवाही कहां तक पहुंच चुकी है। वैसे भी भले राम जी उस दिन यहां नहीं थे। उस दिन उनके चाचा की डैथ हो गई थी जिसकी वजह से वे गांव में थे और जेल के रिकार्ड में भी उस दिन वे वहा पर मौजूद नहीं थे? इसलिये मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ कि इस मामले को इतने दिनों से क्यों पैडिंग रखा हुआ है? (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: please do not go upto that extent and say anything about the merits of the case at theis stage. The matter is yet to be gone into by the Committee Besides. the reasns for asking extension in time have been given in the Report P;ease take your seat.

श्री राम बिलास भार्मा:(महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, आज प्रारम्भ से ही कुछ ऐसी बात हो रही है, जो होनी नहीं चाहिये। जो बड़े पढ़े-लिखे सदस्य है, वे ही गलत बात कर रहे है। स्पीकर साहब, सदन की कुछ मर्यादाये होती है। It is an august House which represents the people of Haryana. भाई महेन्द्र प्रताप जी पुराने लैजिस्लेटर है क्योंकि वे पिछले कई सालों से इस सदन के सदस्य है लेकिन वे आज समय के अनुसार बात नहीं करे रहे है। जब भाोक प्रस्ताव आया तो उन्होंने माननीय राज्यपाल के

अभिभाषण के बारे में चर्चा भुरू कर दी और अब प्रिविलेज मो इन के बारे में जब कमेटी फाइनल रिपोर्ट देने के लिये समय की ऐक्सटेन् इन मांग रही है ता भी बोल रहे है। It is a specific report and the Chairman of the Committee has moved a specific motion asking for extension in time presenting the final report. स्पीकर साहब, ये प्रिविलेज इ पूज कोई छोटे मामले नहीं है। पहला प्रिविलेज इ पू भाई दुर्गादत्त मंत्री जी की ि कायत पर बेस्ड है। वे इस सदन के सदस्य है। वे चाहे किसी भी विचारधारा से सम्बन्ध रखते हो लेकिन उनकी मान-हानि हुई है और यह महान सदन इस पर चिन्ता व्यक्त करता है। दूसरा मामला उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी देवी लाल, तथा सर्वश्री वासुदेव भार्मा मांगे राम तथा धीरपाल जी के सै इन अटैन्ड करने मे रूकावट पैदा करने से सम्बन्धित है जो कि एक गम्भीर बात है लेकिन इस पर भी इन्होंने बोलना भुरू कर दिया। एक और प्रिविलेज इ पू सर्वश्री योगे ा चन्द्र भार्मा तथा सुरेन्द्र कुमार मदान, जो इस सदन के माननीय सदस्य है से सम्बन्धित है। इसी तरह से जो दूसरे मामले है वे भी बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, मै गुजारि ा करूंगा कि इन पर इस तरह से चर्चा करना महत्व को कम करना है जो कि इच्छा बात नहीं।

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रैजैन्ट करने के लिए नेक्सट सै इन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iii) साप्ताहिक योग के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक श्री डी० आर० चौधरी के विरुद्ध

श्री अध्यक्ष: अब श्री भगवान सहाय रावत, एम० एल० ए० चैयरमैन प्रिविलेजिज कमेटी 26 अगस्त, 1988 को श्री डी० आर० चौधरी ऐडिटर, प्रिंटर एण्ड पब्लिशर ऑफ दि वीकली पींग द्वारा आनरेबल मैम्बर्ज ऑफ दि हाउस एण्ड डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री बी० डी० गुप्ता के अगेन्स्ट सीरियस ऐलीगे ांज ऑफ करण इन एण्ड यूजिंग बेरी डैरोगेटरी लैंग्वेज के इ ा पर कमेटी की थडे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रैजैन्ट करेंगे टाईम ऐक्सटैन्ड इन के लिये मो इन मूव करेंगे।

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairman Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the quistion off alegod breach of privilege against Shri D.R. Chaudhry, Editor Printer and Publisher of the Weekly Peeng in regard to publishing libellous matters in its issue dated 26-8-1988, making serious allegations of corruption and using very derogatory language against the Hon'ble Members of this House and the Deputy Chief Minister Shri B.D. Gupta.

Sir, I also beg to move-

That the time the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पे 1 हुआ—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रैजैन्ट करने के लिए नेक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रैजैन्ट करने के लिए नेक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iv) चण्डीगढ़ पुलिस के सर्वश्री परमजीत सिंह, हैड कांस्टेबल ट्रैफिक तथा सुरजीत सिंह कांस्टेबल के विरुद्ध

श्री अध्यक्ष: अब श्री भगवान सहाय रावत, एम0 एल0 ए0 चैयरमैन प्रिविलेजिज कमेटी 10 मार्च, 1989 को विधान सभा के सैशन का अटैन्ड करने के साथ मिसबिहेवियर करने तथा उन्हें रोकने के लिए चण्डीगढ़ पुलिस के सर्वश्री परमजीत सिंह हैड कांस्टेबल ट्रैफिक और सुरजीत सिंह, कांस्टेबल, के विरुद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग करने के प्र न के इ ू पर कमेटी

की सैकण्ड प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रैजैन्ट करेंगे तथा टाईम ऐक्सटैन्ड इन के लिए मोशन मूव करेंगे।

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairman, Committee of Privileges) Sir I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privileges against Sarvshri Paramit Singh Head Constable Traffic and Surjit Singh, Constable of Chandigarh Police in regard to misbehaviour and obstructing Savshri Yogesh Chand Sharma and Surinder Kumar Madan M.L.As. while they were coming to attend the Haryana Vidhan Sabha Session on the 10th March 1989

Sir, I beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पेश हुआ—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रैजैन्ट करने के लिए नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रैजैन्ट करने के लिए नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(v) श्री रघु यादव एम0 एल0 ए0 के विरुद्ध (अब भूतपूर्व एम0 एल0 ए0)

श्री अध्यक्ष: अब श्री भगवान सहाय रावत, एम0 एल0 ए0 चैयरमैन प्रिविलेजिज कमेटी, 12 मार्च, 1989 को श्री रघु यादव, एम0 एल0 ए0 (अब भूतपूर्व एम0 एल0 ए0) द्वारा डेली नैशनल हैरल्ड में प्रैस स्टैटमेंट देकर स्पीकर की इम्पारिअलिटी पर रिफ्लैक्शन डालने के इंतजार पर कमेटी की सैकंड प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रैजेंट करेंगे तथा टाईम एक्सटेंशन के लिए मोशन मूव करेंगे।

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chirman Privileges Committle): Sir I beg to present the Second Priliminary Repot the Committee of privilegsd with regard to the question of alleged breach of privilege against Shri Raghu Yadav, M.L.A. (Now Ex-M.L.A.) in regard to the press statement given by him, published in the Daily National Herald dated 12-3-1989 Casting reflections on the impartiality of the Hon'ble Speaker.

Sir, i beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पे पास हुआ—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रैजैन्ट करने के लिए नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रैजैन्ट करने के लिए नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल सुबह साढ़े नौ बजे तक ऐडजर्न किया जाता है।

16.49 बजे

(तत्पश्चात् सदन मंगलवार 16 जनवरी 1990 प्रातः 9.30 बजे तक स्थगित हुआ)